करेंट अफेयर्स

उत्तर प्रदेश

(संग्रह)

मई

2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **4**

- सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष 4
- उत्तर प्रदेश में 'रात्रिकालीन लैंडिंग' हवाई पट्टी 6
- रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल 7
- उत्तर प्रदेश में कृषि सखी 10
- आनंदीबेन पटेल पर आधारित पुस्तक 11
- मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12
- ट्रांसजेंडरों के लिये वृद्धाश्रम 14
- उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 15
- पिपरहवा अवशेष 16
- ट्रांसजेंडर समुदाय के लिये विशेष राशन कार्ड 18
- उत्तर प्रदेश में वैश्विक सेवा केंद्र 19
- वीर रथ पार्क 20
- मिशन शक्ति 21
- जीएसटी संग्रह में मेरठ शीर्ष पर 22
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) 23
- यूपी-एग्रीस और एआई प्रज्ञा कार्यक्रम 24
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) 25

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ब्रह्मोस मिसाइल 26
- CIL और UPRVUNL के बीच समझौता 28
- यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त 30
- नोएडा में पहला 3nm चिप डिज़ाइन केंद्र शुरू 31
- गोमती नदी 32
- एक जनपद एक उत्पाद के तहत नए उत्पाद शामिल 33
- भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपरलॉय सामग्री संयंत्र 34
- यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (NAMASTE) 35
- भारत की पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन 37
- शाही जामा मस्जिद विवाद एवं पूजा स्थल अधिनियम 1991 38
- बाल श्रम उन्मूलन अभियान 40
- भारत के 86वें ग्रैंडमास्टर 42
- उत्तर प्रदेश ने बुनियादी ढाँचे के विकास में बनाए दो विश्व रिकॉर्ड 43
- पर्यटन के लिये बुनियादी ढाँचे का विकास 43
- शादी अनुदान योजना 45
- सोयाबीन की उच्च उपज देने वाली किस्में 47
- विश्व कछुआ दिवस 2025: उत्तर प्रदेश के कछुआ संरक्षण प्रयास 48
- प्रोजेक्ट अलंकार 50
- नोएडा में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी 52
- बफर में सफर योजना 53
- NFSA के तहत ज़िलेवार कोटा समाप्त किया 55
- वीरता पुरस्कार 2025 58
- पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि 60
- उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट 62

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

उत्तर प्रदेश

सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित पवित्र बुद्ध अवशेषों को **मई 2025** में **वियतनाम** में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस (UNDV) समारोह के अवसर पर प्रदर्शित किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

- **बुद्ध अवशेषों के बारे में:**
  - ये अवशेष **उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी विहार** से संबंधित हैं, यह विहार **महाबोधि सोसाइटी** द्वारा संचालित है, जिसकी स्थापना **अंगारिका धर्मपाल** ने की थी।
  - अवशेषों की **खुदाई 1927-1931** के दौरान नागार्जुनकोंडा (**आंध्र प्रदेश**) में **एच. लॉन्गहर्स्ट** द्वारा की गई थी।
  - इन अवशेषों को 27 दिसंबर, 1932 को **राय बहादुर दयाराम साहनी** ने **भारत के वायसराय** की ओर से महाबोधि सोसाइटी को सौंपा था।
  - यह कार्यक्रम **भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय** और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
- **संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस (UNDV)**
  - **वेसाक दिवस** बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र दिन है, जो **महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति (ज्ञानोदय)** और महापरिनिर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है।
  - **संयुक्त राष्ट्र महासभा** ने **15 दिसंबर, 1999** को एक प्रस्ताव पारित कर इसे **अंतरराष्ट्रीय दिवस** के रूप में मान्यता दी।
  - पहला आधिकारिक आयोजन **वर्ष 2000** में **न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय** में किया गया था।
  - संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस 2025 की थीम है- "**मानव गरिमा के लिये एकता और समावेशिता के लिये बौद्ध दृष्टिकोण: विश्व शांति और सतत् विकास के लिये बौद्ध अंतर्दृष्टि**"।

अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC)

- यह सबसे बड़ा धार्मिक बौद्ध संघ है।
- इस संघ का उद्देश्य वैश्विक मंच पर बौद्ध धर्म की भूमिका का निर्माण करना है, ताकि बौद्ध धर्म की विरासत को संरक्षित करने, ज्ञान साझा करने और मूल्यों को बढ़ावा देने में मदद मिल सके तथा वैश्विक वार्ता में सार्थक भागीदारी के साथ बौद्ध धर्म का संयुक्त प्रतिनिधित्व किया जा सके।
- नवंबर 2011 में नई दिल्ली में '**वैश्विक बौद्ध मंडली**' (GBC) की मेज़बानी की गई थी, जहाँ उपस्थित लोगों ने सर्वसम्मति से एक अंतर्राष्ट्रीय अम्ब्रेला निकाय- अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) के गठन के प्रस्ताव को अपनाया।
- **मुख्यालय:** दिल्ली (भारत)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

उत्तर प्रदेश में 'रात्रिकालीन लैंडिंग' हवाई पट्टी

चर्चा में क्यों

उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे का 3.5 किमी. हिस्सा देश का पहला ऐसा एक्सप्रेस-वे होगा, जहाँ भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान **रात्रिकालीन लैंडिंग** कर सकेंगे।

मुख्य बिंदु

- गंगा एक्सप्रेस-वे **के बारे में:**
  - **गंगा एक्सप्रेस-वे मुंबई-नागपुर एक्सप्रेस-वे** के बाद देश का **दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे** है।
  - यह 594 किमी. की अनुमानित लंबाई वाला एक महत्त्वाकांक्षी पहल है।
  - राज्य को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने वाला **यह एक्सप्रेस-वे 12 ज़िलों के 518 गाँवों से होकर** गुज़रेगा, जिससे **मेरठ और** प्रयागराज **के बीच यात्रा का समय काफी कम** हो जाएगा।
- **रणनीतिक दृष्टिकोण**
  - उत्तर प्रदेश में अब तीन ऐसे एक्सप्रेस-वे हैं, जहाँ **लड़ाकू विमानों की लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध है — लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे,** पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और **गंगा एक्सप्रेस-वे**।
  - यह पहली बार है जब भारत में किसी **एक्सप्रेस-वे** पर रात में राफेल, मिराज और जगुआर जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान **लैंड करेंगे**।
  - यह हवाई पट्टी **युद्ध अथवा आपदा की स्थिति में** भारतीय वायुसेना के लिये एक **वैकल्पिक रनवे के रूप में कार्य करेगी।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **राफेल**
  - राफेल (Rafale) फ्राँस का डबल इंजन वाला और मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, जिसे फ्राँस की **डसॉल्ट एविएशन कंपनी** द्वारा डिज़ाइन किया गया है।
  - इस लड़ाकू विमान में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है और यह एक 4.5 जेनरेशन (4.5 Generation) वाला लड़ाकू विमान है।
  - राफेल लड़ाकू विमान में मौजूद मीटीओर मिसाइल (Meteor Missile), SCALP क्रूज मिसाइल (Scalp Cruise Missile) और MICA मिसाइल प्रणाली (MICA Missile System) इसे सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण बनाती हैं।
  - राफेल 2,222.6 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार और 50,000 फीट की ऊँचाई तक उड़ सकता है।
  - यह लड़ाकू विमान लगभग 15.27 मीटर लंबा है और यह अपने साथ एक बार में 9,500 किलोग्राम बम और गोला-बारूद ले जा सकता है।
- **जगुआर**
  - जगुआर एक **बहुमुखी विमान है, जिसका उपयोग ज़मीनी हमले, हवाई रक्षा और टोही मिशनों (Reconnaissance missions) के लिये किया जाता है।**
    - यह **पाँचवीं पीढ़ी (5G) का** लड़ाकू विमान **है, जो अत्यधिक संघर्ष वाले युद्ध क्षेत्रों में परिचालन करने में सक्षम है तथा इसमें** वर्तमान और संभावित दोनों **प्रकार के सबसे उन्नत हवाई और ज़मीनी खतरों की उपस्थिति** को रेखांकित किया गया है।
    - 5G लड़ाकू विमानों में **स्टेल्थ क्षमता होती है** और वे आफ्टर बर्नर का उपयोग किये बिना सुपरसोनिक गति **से उड़ान भर सकते हैं।**
    - यह अपनी बहु-स्पेक्ट्रल **निम्न-अवलोकनीय डिज़ाइन, आत्म-सुरक्षा, रडार जैमिंग क्षमताओं और एकीकृत एवियोनिक्स** के कारण **चौथी पीढ़ी (4G) के समकक्षों से अलग है।**
    - **मिग-21, मिग-29, जगुआर और मिराज** 2000 के स्क्वाड्रनों को अगले दशक के मध्य तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।

रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल

चर्चा में क्यों

तीन दशकों की अनुपस्थिति के बाद रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल की गंगा नदी **में वापसी** हुई है।

- यह सफलता **नमामि गंगे मिशन** और उसके तहत संचालित **टर्टल सरवाइवल एलायंस इंडिया (TSAFI) परियोजना** के अंतर्गत एक **ऐतिहासिक जैवविविधता संरक्षण उपलब्धि** है।

मुख्य बिंदु

- **रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल के बारे में:**
  - **वैज्ञानिक नाम:** बाटागुर कचुगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सामान्य नाम:** बंगाल रूफ टर्टल, रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल।
- **परिचय:**
  - रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल **भारत के स्थानिक 24 प्रजातियों में से एक है** जिसके नर के चेहरे और गर्दन पर लाल, पीले, सफेद एवं नीले जैसे चमकीले रंग उनकी विशेषता है।

- **वितरण:**
  - **यह मीठे पानी में पाए जाने वाले कछुए की प्रजाति है जो नेस्टिंग साइट्स वाली गहरी बहने वाली नदियों में पाई जाती है।**
  - ऐतिहासिक रूप से यह प्रजाति **भारत और बांग्लादेश दोनों में गंगा नदी में व्यापक रूप से पाई जाती थी।** यह ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी पाई जाती है।
  - वर्तमान में भारत में **राष्ट्रीय** चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य एकमात्र ऐसा क्षेत्र है **जहाँ इस प्रजाति की पर्याप्त आबादी है,** लेकिन यह संरक्षित क्षेत्र और आवास भी अब खतरे में हैं।
- **खतरा:**
  - **बड़ी तटीय और नदी परियोजनाएँ** नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करती हैं और इससे जल प्रदूषण में वृद्धि होती है।
  - उप-प्रजातियाँ **मत्स्य जालों में फँसने** और **मानव गतिविधियों से उत्पन्न व्यवधानों** के कारण संकट में पड़ जाती हैं।
  - **प्रदूषण, सिंचाई के लिये जल की अत्यधिक निकासी** और **अनियंत्रित बाँधों का प्रवाह** प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुँचाते हैं।
  - **गंगा नदी** के किनारे स्थित **रेत के टापुओं** का क्षेत्र, जो शिकार के लिये उपयुक्त होता है, **खनन और मौसमी कृषि** के कारण लगातार सिकुड़ता जा रहा है।
  - **अवैध उपभोग और** अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये जानवर को ओवरहार्वेस्ट करना।
- **सुरक्षा की स्थिति:**
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) रेड लिस्ट: **गंभीर रूप से लुप्तप्राय** (Critically Endangered)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972: **अनुसूची I** (Schedule I)
- CITES : **परिशिष्ट II**

- **पुनर्वास**
  - कछुओं को उत्तर प्रदेश के हैदरपुर आर्द्रभूमि में छोड़ा गया। यह क्षेत्र गंगा नदी के साथ स्थित है और यहाँ का **पारिस्थितिकी तंत्र** कछुओं के पुनर्वास के लिये उपयुक्त माना गया।
  - कछुओं को दो समूहों में बाँटा गया था – एक को गंगा बैराज के ऊपरी हिस्से में और दूसरे को निचले हिस्से में छोड़ा गया।
  - प्रत्येक कछुए में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है, जिससे उनके आवागमन और पर्यावरण में अनुकूलन को मॉनिटर किया जा सके।

नमामि गंगे कार्यक्रम

- **परिचय:**
  - नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में **केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था,** ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।
  - यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय **के तहत संचालित किया जा रहा है।**
  - **नमामि गंगे कार्यक्रम (2021-26) के दूसरे चरण** में राज्य परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने और गंगा के सहायक शहरों में परियोजनाओं के लिये विश्वसनीय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report- DPR) तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
    - छोटी नदियों और **आर्द्रभूमि के पुनरुद्धार पर भी ध्यान दिया जा रहा है।**

टर्टल सर्वाइवल एलायंस इंडिया (TSAFI)

- TSAFI, वैश्विक टर्टल सर्वाइवल एलायंस का भारतीय इकाई का प्रतिनिधित्व करता है, जो दुनिया भर में **मीठे पानी की कछुओं की प्रजातियों की सुरक्षा** के लिये समर्पित है।
- यह संस्था कछुओं को **प्रमुख ख़तरों** जैसे कि **आवास विनाश, अवैध वन्यजीव व्यापार** और **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों** से बचाने के लिये कार्य करती है।
- यह विभिन्न पहलें संचालित करती है, जैसे:
  - कछुओं की प्रजातियों और उनके आवासों पर **वैज्ञानिक अनुसंधान**
  - **मैदान स्तर पर संरक्षण परियोजनाएँ**
  - **जनता में शिक्षा और जागरूकता अभियान**
- TSAFI का उद्देश्य है **वैज्ञानिक विशेषज्ञता और समुदाय की भागीदारी** को एक साथ जोड़कर भारत में कछुओं की प्रजातियों का **दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित** करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य

- **राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश** के त्रि-जंक्शन पर स्थित है।
  - यह एक दुर्बल सरित्जीवी (Lotic) पारिस्थितिकी तंत्र है, जो घड़ियालों- **मछली खाने वाले मगरमच्छों** के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रजनन स्थल है।
    - यह अभयारण्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित है और इसे 'महत्त्वपूर्ण पक्षी और जैवविविधता क्षेत्र' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
    - अभयारण्य एक **प्रस्तावित** रामसर स्थल भी है जिसमें स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 320 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

उत्तर प्रदेश में कृषि सखी

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये **महिलाओं को 'कृषि सखी'** के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु

- **कृषि सखी योजना के बारे में:**
  - यह पहल कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को औपचारिक पहचान देती है तथा उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मज़बूत कदम है।
- **चयन प्रक्रिया और भूमिका:**
  - 'कृषि सखी' के रूप में उन्हीं महिलाओं का चयन किया जाएगा जो:
    - **स्थानीय निवासी** हों।
    - स्व-सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी हों या **कृषि कार्य में सक्रिय** हों।
    - न्यूनतम **प्राथमिक शिक्षा** प्राप्त हों (साक्षरता अनिवार्य)।
  - उनकी भूमिका में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - किसानों को **प्राकृतिक खेती के लाभों** के प्रति जागरूक करना।
    - **प्रशिक्षण प्राप्त करना और देना**, विशेषकर जैविक खाद, कीटनाशक, बीज उपचार आदि से संबंधित।
    - **कृषि क्लस्टर की निगरानी** करना और किसानों की समस्याओं को कृषि विज्ञान केंद्र तक पहुँचाना।
    - **महिलाओं की टोली** बनाकर सामूहिक खेती को बढ़ावा देना।
- **प्रशिक्षण और मानदेय:**
  - इन महिलाओं को KVK (कृषि विज्ञान केंद्र) द्वारा **प्राकृतिक खेती, जैविक उत्पाद निर्माण, प्रयोग विधियाँ, रोग नियंत्रण** जैसे विषयों पर नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  - प्रशिक्षण के दौरान उन्हें **फील्ड डेमोंस्ट्रेशन**, **विजुअल एड्स**, और **टूलकिट्स** प्रदान की जाएंगी।
  - प्रत्येक ज़िले में **दो जैव इनपुट अनुसंधान केंद्र (Bio-input Research Centres)** की स्थापना की जाएगी।
  - 'कृषि सखियों' को **प्रति माह ₹5,000 का मानदेय** प्रदान किया जाएगा, जो ग्रामीण महिलाओं के लिये **निश्चित आय का स्रोत** बनेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रों में **प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि (Performance-Based Incentives)** भी दी जा सकती है।

प्राकृतिक खेती:

- प्राकृतिक खेती स्थानीय रूप से **उपलब्ध संसाधनों पर आधारित एक रसायन मुक्त कृषि पद्धति** है।
  - यह पारंपरिक स्वदेशी तरीकों को प्रोत्साहित करती है जो उत्पादकों को बाहरी आदानों पर निर्भर रहने से मुक्त करते हैं।
- प्राकृतिक खेती का प्रमुख ध्यान **बायोमास मल्चिंग के साथ ऑन-फार्म बायोमास रीसाइक्लिंग, ऑन-फार्म देसी गाय के गोबर एवं मूत्र का उपयोग, विविधता के माध्यम से कीटों का प्रबंधन, ऑन-फार्म वनस्पति मिश्रण** एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक आदानों का बहिष्करण है।
  - चूँकि प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं होता है जिसकी वजह से यह **स्वास्थ्य के लिये कम जोखिमपूर्ण है**।
- इन खाद्यान्नों में **उच्च पोषण तत्त्व** होता है और बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं।
- प्राकृतिक खेती का उद्देश्य **लागत तथा जोखिम में कमी, समान पैदावार और इंटरक्रॉपिंग से आय के परिणामस्वरूप किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि** कर खेती को व्यवहार्य एवं आकांक्षी बनाना है।

आनंदीबेन पटेल पर आधारित पुस्तक

चर्चा में क्यों ?

लखनऊ स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम **प्राविधिक विश्वविद्यालय** में **भारत के** उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल **आनंदीबेन पटेल** की आत्मकथात्मक पुस्तक **'चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं'** का विमोचन किया गया।

मुख्य बिंदु

- **पुस्तक के बारे में:**
  - यह पुस्तक **राजनीति, प्रशासन और सामाजिक जीवन** में उनके संघर्षों और उपलब्धियों को दर्शाती है।
  - पुस्तक में एक साधारण कार्यकर्त्ता से लेकर **गुजरात की** पहली महिला मुख्यमंत्री और **उत्तर प्रदेश की राज्यपाल** बनने तक के सफर का उल्लेख है।
  - यह पुस्तक **महिलाओं के नेतृत्व, संघर्ष और सशक्तीकरण** का उदाहरण प्रस्तुत करती है।
- **आनंदीबेन पटेल**
  - आनंदीबेन पटेल वर्तमान में **उत्तर प्रदेश की राज्यपाल** हैं और भारतीय राजनीति की एक **प्रभावशाली महिला नेतृत्वकर्त्ता** के रूप में जानी जाती हैं।
  - उनका जन्म 21 नवंबर 1941 को गुजरात के मेहसाणा ज़िले के खरोद गाँव में एक पाटीदार परिवार में हुआ था।
  - **उन्होंने ई-जमीन कार्यक्रम** शुरू किया, जिससे **भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण** हुआ और **किसानों के अंगूठे के निशानों और तस्वीरों** को डिजिटल रूप दिया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

राज्यपाल

- **परिचय**
  - राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। **परंपरा के अनुसार,** वह उस राज्य से संबंधित न हो जहाँ उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके।
    - इसके अलावा, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब **राष्ट्रपति के लिये आवश्यक है कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे ताकि** राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो।
  - राज्यपाल **न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है** और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका निर्वाचन होता है।
  - उसकी **नियुक्त** राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र के माध्यम से होती है।
  - वह **राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है** और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है।
- **राज्यपाल कार्यालय की शर्तें:**
  - बिना किराए के उसे राजभवन (आधिकारिक निगम) उपलब्ध होगा।
  - वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, **विशेषाधिकारों और भत्तों** के लिये अधिकृत होगा।
  - यदि वह व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है, तो ये उपलब्धियाँ और भत्ते **राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों** के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे।
  - उसके कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को **कम नहीं किया जा सकता।**
- **विशेषाधिकार:**
  - **अनुच्छेद 361 के तहत,** उसे अपने शासकीय कृत्यों के लिये विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति प्राप्त होती हैं।
  - अपने कार्यकाल के दौरान, उसे **आपराधिक कार्यवाही** (चाहे वह व्यक्तिगत क्रियाकलाप हो) की सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है।
  - **उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता है।**
    - यद्यपि **दो महीने के नोटिस देने** पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल ने **ओलंपियन सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी** को वर्ष 2023 के लिये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया।

मुख्य बिंदु

- **मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में:**
  - इसे **भारत का सर्वोच्च खेल** सम्मान माना जाता है।
  - किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले **चार वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में किये गए शानदार और सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन** के लिये दिया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसमें विजेताओं को एक **पदक, प्रमाण-पत्र और 25 लाख रुपए पुरस्कार** के रूप में प्रदान की जाती है।
- **इस पुरस्कार** की स्थापना वर्ष 1991-92 में हुई थी; इसे पहले **राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार** कहा जाता था, जिसका नाम वर्ष 2021 में बदलकर **मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार** दिया गया।
- यह पुरस्कार **भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय** द्वारा प्रदान किया जाता है।

मेजर ध्यानचंद

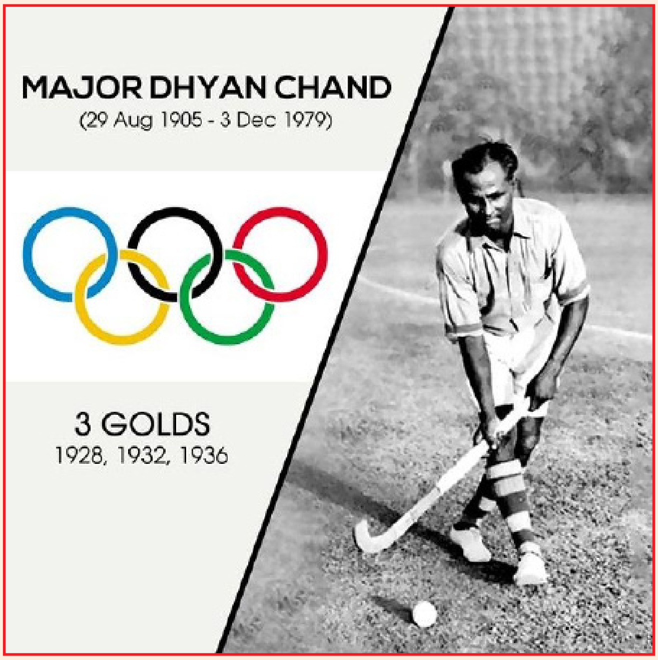

- मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को **प्रयागराज** में हुआ था।
- वे एक फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने **वर्ष 1926 से 1949 तक** अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेली।
  - वह **तीन बार के** ओलंपिक **स्वर्ण पदक विजेता** थे, जिन्होंने **वर्ष 1928, 1932 और 1936** के ओलंपिक संस्करणों में स्वर्ण पदक जीते थे।
- खेल में उनके असाधारण कौशल के चलते उन्हें '**हॉकी के जादूगर**' की उपाधि दी गई।
  - ध्यानचंद ने अपने भाई रूप सिंह के साथ मिलकर भारत के 35 गोलों की संख्या में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके चलते उन्हें '**हॉकी ट्विन्स**' के नाम से भी जाना गया।
  - **वर्ष** 1934 में ध्यानचंद को **भारतीय टीम की कप्तानी से** सम्मानित किया गया।
- मेजर ध्यानचंद वर्ष 1956 में सेना में मेजर पद से सेवानिवृत्त हुए और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
- हर साल **29 अगस्त** को **मेजर ध्यानचंद की जयंती** पर उनके योगदान को सम्मान देने और **खेल संस्कृति** को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

ट्रांसजेंडरों के लिये वृद्धाश्रम

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडर **नागरिकों को वृद्धाश्रम की सुविधाएँ** प्रदान करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु

- **ट्रांसजेंडरों के लिये विशेष सुविधाएँ:**
  - इस पहल के तहत उन्हें **पेंशन**, आयुष्मान भारत कार्ड, **नियमित स्वास्थ्य जाँच**, **पौष्टिक भोजन**, **दवाइयाँ**, **चिकित्सकीय देखरेख** और **मानसिक स्वास्थ्य परामर्श** जैसी आवश्यक सेवाएँ दी जाएंगी।
  - सरकार की इस पहल का उद्देश्य **ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सशक्तीकरण** को सुनिश्चित करना है।
  - वृद्ध ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिये वृद्धाश्रमों में विशेष व्यवस्था की गई है, जिनमें **सामुदायिक गतिविधियाँ**, **पुस्तकालय**, **योग और ध्यान सत्र** भी सम्मिलित हैं।
- **ट्रांसजेंडर कल्याण नीति**
  - वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में **ट्रांसजेंडर कल्याण नीति** लागू की गई थी, जिसके तहत **ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड** का गठन किया गया।
- **गरिमा गृह**
  - इसके अंतर्गत **गोरखपुर** में एक **गरिमा गृह** की स्थापना की गई है, जहाँ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को **आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ** और **कौशल विकास प्रशिक्षण** उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल:**
  - **राज्य और ज़िला दोनों स्तर पर ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल** की स्थापना की गई है।
  - इन सेल्स के माध्यम से **पुलिस संरक्षण, कानूनी सहायता, उत्पीड़न के मामलों में कार्रवाई** और **सामाजिक पुनर्वास** जैसी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

ट्रांसजेंडर

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2019 के अनुसार, ट्रांसजेंडर का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसका लिंग उस व्यक्ति के जन्म के समय दिये गए लिंग से मेल नहीं खाता है।
- इसमें ट्रांस-मेन (परा-पुरुष) और ट्रांस-वूमेन (परा-स्त्री), इंटरसेक्स भिन्नताओं एवं जेंडर क्वीर (Queer) आते हैं।
- भारत की 2011 की जनगणना अपने इतिहास में देश की '**किन्नर/ट्रांस**' आबादी को शामिल करने वाली पहली जनगणना थी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 4.8 मिलियन भारतीयों की पहचान ट्रांसजेंडर के रूप में की गई है।
- सबसे अधिक ट्रांसजेंडर आबादी वाले शीर्ष 3 राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हैं।

आयुष्मान भारत योजना

- **परिचय:**
  - **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana- AB PM-JAY) विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल** के लिये प्रतिवर्ष प्रति परिवार **5 लाख रुपए** तक की बीमा राशि प्रदान करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- AB PM-JAY के अंतर्गत परिवार के आकार, आयु या लिंग की कोई सीमा नहीं है, जिससे सभी लाभार्थियों के लिये समावेशिता सुनिश्चित होती है।
- इसके अतिरिक्त **पहले से मौजूद बीमारियों को भी** पहले दिन से ही कवर किया जाता है।
  - PM-JAY 27 विशेषताओं में 1,949 **चिकित्सा प्रक्रियाओं को** कवर करता है जिसमें **नि:शुल्क दवाएँ, निदान, भोजन, आवास** और **अस्पताल से छुट्टी के बाद 15 दिनों की दवा शामिल है।**
  - **पात्रता एवं लाभार्थी पहचान:**
    - इसमें शामिल परिवार क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (Socio-Economic Caste Census- SECC 2011) **के अभाव और व्यावसायिक मानदंडो** पर आधारित हैं।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आर्यावर्त बैंक, प्रथमा बैंक और बड़ौदा यूपी बैंक का विलय कर दिया गया है। जिसे 'उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक' के नाम से जाना जाएगा।

मुख्य बिंदु

- **उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के बारे में:**
  - इस बैंक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में **वित्तीय समावेशन**, **एकीकृत प्रबंधन** और **बेहतर ग्राहक सेवाएँ** सुनिश्चित करना है।
  - यह नया बैंक **भारत सरकार के वित्त मंत्रालय** की अधिसूचना के तहत **1 मई 2025** से अस्तित्व में आया।
  - इस नवगठित बैंक का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश के 26 ज़िलों तक फैला होगा, जिसमें कुल 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संचालन किया जाएगा।
  - इस नवगठित बैंक का **मुख्यालय लखनऊ** में स्थापित किया जाएगा और इसका संचालन **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्रायोजन में किया जाएगा।
- लाभ
  - **ऋण वितरण में सुगमता:** किसानों, स्वरोज़गार से जुड़े ग्रामीण उद्यमियों को शीघ्र ऋण स्वीकृति।
  - **डिजिटल सेवाओं का विस्तार:** मोबाइल बैंकिंग, UPI, नेट बैंकिंग जैसी सुविधाएँ दूरस्थ गाँवों तक पहुँचेंगी।
  - **सुविधाओं की निगरानी: नाबार्ड** द्वारा एक विशेष समिति गठित की गई है, जो ग्राहकों की सुविधा का आकलन करेगी।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)

- नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिये शीर्ष बैंकिंग संस्थान है।
- इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में अवस्थित है।
- कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिये उत्तरदायी है।
- यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना **वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत की गई थी।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

पिपरहवा अवशेष

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने हांगकांग में सोथबी को **पवित्र पिपरहवा अवशेषों की नीलामी करने से रोकने के लिये एक मज़बूत कूटनीतिक और कानूनी अभियान शुरू** किया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे **भगवान बुद्ध के अवशेष हैं।**

प्रमुख बिंदु

- **पिपरहवा अवशेषों के बारे में:**
  - उत्खननकर्त्ताओं ने वर्ष 1898 में **उत्तर प्रदेश के पिपरहवा स्तूप** में **पिपरहवा अवशेषों की खोज** की थी, जिसे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली, **प्राचीन कपिलवस्तु** माना जाता है ।
  - अवशेषों में **हड्डियों के टुकड़े, क्रिस्टल के ताबूत, सोने के आभूषण और अन्य अनुष्ठानिक प्रसाद शामिल हैं।**
  - एक ताबूत पर ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख है जो अवशेषों को प्रत्यक्ष रूप से भगवान बुद्ध से जोड़ता है, जिसमें **उल्लेख किया गया है कि इन्हें शाक्य कुल द्वारा स्थापित** किया गया था।
- **अवशेषों का कानूनी संरक्षण:**
  - भारत इन अवशेषों को 'AA' **पुरावशेषों के रूप में वर्गीकृत** करता है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय कानून के तहत **उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा** प्राप्त होती है।
  - भारतीय कानून **इनकी बिक्री या निर्यात पर प्रतिबंध** लगाता है, तथा इन्हें नीलाम करने या हटाने का कोई भी प्रयास अवैध है।
  - जबकि **अधिकांश अवशेष वर्ष 1899 में भारतीय संग्रहालय, कोलकाता को सौंप दिये गए थे** , **ब्रिटिश उत्खननकर्त्ता विलियम क्लैक्सटन पेप्पे के वंशजों ने कुछ अवशेष अपने पास रख लिये,** जो अब नीलामी बाज़ार में सामने आ रहे हैं।
- **भारत की तत्काल कार्रवाई:**
  - हांगकांग में प्रस्तावित सोथबी नीलामी के बारे में जानकारी के बाद, संस्कृति मंत्रालय ने कानूनी नोटिस जारी कर इसे तत्काल रोकने की मांग की।
  - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा हस्तक्षेप हेतु हांगकांग स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास से संपर्क किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

कपिलवस्तु अवशेष

- **वर्ष 1898 में पिपरहवा (उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के पास)** के स्तूप स्थल पर एक उत्कीर्ण ताबूत की खोज से इस स्थान को प्राचीन कपिलवस्तु के साथ पहचानने में सहायता प्राप्त हुई।
- **ताबूत के ढक्कन पर अंकित अभिलेख बुद्ध और उनके समुदाय, शाक्य के अवशेषों का उल्ले**ख करता है ।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1971-77 में पुन: स्तूप का उत्खनन किया, जिसमें दो अतिरिक्त शैलखटी अवशेष संदूक मिले, जिनमें कुल 22 पवित्र अस्थि अवशेष थे, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए हैं।
- इसके बाद पिपरहवा के पूर्वी मठ में विभिन्न स्तरों और स्थानों से 40 से अधिक टेराकोटा मुहरों की खोज हुई, जिससे यह स्थापित हुआ कि पिपरहवा ही प्राचीन कपिलवस्तु था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

ट्रांसजेंडर समुदाय के लिये विशेष राशन कार्ड

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर नागरिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत **राशन कार्ड** जारी करने के लिये एक **विशेष अभियान** शुरू करने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

- **ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति:**
  - यह कदम उत्तर प्रदेश **ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड** की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें समुदाय की उपेक्षा और सरकारी सुविधाओं से वंचित रहने की स्थिति उजागर की गई थी।
  - रिपोर्ट के माध्यम से शासन को अवगत कराया गया कि बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर व्यक्ति स्थायी **रोज़गार और सरकारी योजनाओं से वंचित हैं**।
  - सामाजिक भेदभाव के कारण वे खाद्य सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं।
- **मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप:**
  - उत्तर पदेश के मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए निर्देश दिये हैं कि:
    - राशन कार्ड वितरण प्रक्रिया को **सरल, तेज़ और पारदर्शी** बनाया जाए।
    - यह कार्य राज्य के 'शून्य गरीबी' कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व पूरा किया जाए।
    - सभी ज़िलों को निर्देश दिये हैं कि वे राशन कार्ड न रखने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की **पहचान कर उन्हें दस्तावेज़ जारी करें**।
    - इन लाभार्थियों को '**पात्र गृहस्थी**' श्रेणी में जोड़ कर उन्हें **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम** (NFSA) के अंतर्गत लाया जाए।
- **महत्त्व**
  - **इससे सामाजिक समावेशन** को बढ़ावा मिलेगा तथा ट्रांसजेंडर समुदाय को **समान अधिकार और गरिमा** मिलेगी।
  - **खाद्य सुरक्षा** सुनिश्चित होने से उनकी **आर्थिक स्थिति मज़बूत** होगी।
  - **प्रशासनिक सुधार** और पारदर्शिता से **कल्याण योजनाओं** की पहुँच अधिक प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

- **अधिसूचित:** 10 सितंबर, 2013
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
- **कवरेज:** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत।
  - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है।
- **पात्रता**
  - राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत आने वाले प्राथमिकता वाले घर।
  - अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किये गए घर।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- **प्रावधान**
  - प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेहूँ 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो।
  - हालाँकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा।
  - गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधानहै।
  - 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन।
  - खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
  - ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

उत्तर प्रदेश में वैश्विक सेवा केंद्र

चर्चा में क्यों ?

वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिये **उत्तर प्रदेश सरकार** ने वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति को मंज़ूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- **परिचय:**
  - इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर ले जाना है।
  - अनुमान है कि **यह नीति IT, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग एवं अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों** में वैश्विक अभिकर्त्ताओं को आकर्षित करेगी।
  - यह नीति आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करने पर केंद्रित है तथा इसे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है।
- **GCC द्वारा कवर की गई प्रौद्योगिकियाँ:**
  - उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जा रहे GCC में निम्नलिखित अत्याधुनिक डोमेन शामिल हैं:
    - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
    - मशीन लर्निंग
    - क्लाउड कम्प्यूटिंग
    - साइबर सुरक्षा
    - रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन
    - इंजीनियरिंग डिज़ाइन और विकास
- **पहले से ही शामिल क्षेत्र और कंपनियाँ:**
  - बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और **सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र** की वैश्विक कंपनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में परिचालन शुरू किया गया है।
  - **माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा** में 10,000 सीटों वाले डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **MAQ सॉफ्टवेयर** द्वारा 3,000 सीटों वाला इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है।
- राज्य सरकार **नोएडा एवं NCR के साथ-साथ वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज** में भी GCC को आकर्षित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC)

- GCC का आशय उन ऑफशोर प्रतिष्ठानों से है, जिन्हें कंपनियों द्वारा अपनी मूल संस्थाओं को अनेक प्रकार की सेवाएँ प्रदान करने के लिये स्थापित किया जाता है।
- वैश्विक कॉर्पोरेट ढाँचे के तहत आंतरिक संस्थाओं के रूप में कार्य करते हुए ये केंद्र **IT सेवाओं, अनुसंधान एवं विकास**, ग्राहक सहायता तथा विभिन्न अन्य व्यावसायिक कार्यों सहित विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- **GCC लागत दक्षताओं का लाभ उठाने, प्रतिभा का उचित उपयोग** करने तथा मूल उद्यमों एवं उनके ऑफशोर समकक्षों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) कर छूट, सरलीकृत विनियमन और सुव्यवस्थित नौकरशाही जैसे कई लाभ प्रदान करके **GCC के विकास में सहायता** प्रदान कर सकते हैं।

वीर रथ पार्क

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की स्मृति में एक म्यूज़ियम और ओपन थियेटर सहित **वीर रथ पार्क** का निर्माण किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- **पार्क के बारे में:**
  - यह पार्क **कुल 32 स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत** को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने के उद्देश्य से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे के समीप स्थित **नलगढ़** गाँव में स्थापित किया जा रहा है।
    - ऐतिहासिक दृष्टि से, **नलगढ़ गाँव** शहीद **भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस** और आज़ाद हिंद फ़ौज **के कर्नल करनैल सिंह** की शरणस्थली रहा है। ऐसा माना जाता है कि इन सेनानियों ने यहीं रहकर **ब्रिटिश सेना पर हमले की रणनीतियाँ** तैयार की थीं।
  - **इस पार्क** की स्थापना लगभग **22 एकड़ भूमि** पर की जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत **42 करोड़ रुपए** है।
  - इस पार्क में एक **संग्रहालय (Museum)** भी होगा, जिसमें शहीदों की **पत्थर की मूर्तियाँ** और **सूचनात्मक प्रदर्शन** (informational exhibits) लगाए जाएंगे।
  - संग्रहालय की दीवारों पर **स्वतंत्रता सेनानियों और सेना के जवानों की कहानियाँ** भी अंकित की जाएंगी।
  - युद्धकालीन टैंक और लड़ाकू विमान प्रतीकात्मक रूप से भारत की सैन्य विरासत को प्रदर्शित करेंगे, जबकि लेज़र शो देशभक्ति की भावना को प्रेरित करेगा।
  - ओपन-एयर थिएटर में भारत की स्वतंत्रता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

आज़ाद हिंद फौज (INA)

- **परिचय:** यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का सामना करने के उद्देश्य से गठित एक **सैन्य बल** था, जिसने **भारत के स्वतंत्रता संग्राम** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- **गठन:**
  - **मोहन सिंह:** उन्होंने **भारतीय युद्धबंदियों (POW)** से एक सेना गठित करने का प्रस्ताव किया और जापानी समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने शुरुआत में INA का नेतृत्व किया, जिसमें लगभग **40, 000 सैनिकों** की भर्ती की गई।
- हालाँकि, **सैनिकों की संख्या** को लेकर जापानियों के साथ संघर्ष के कारण उन्हें हटा दिया गया।
  - **रासबिहारी बोस:** यह एक अनुभवी **क्रांतिकारी** थे और इन्होने INA के लिये **समर्थन** जुटाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया (1942)।
  - **सुभाष चंद्र बोस: 25 अगस्त 1943** को बोस को INA का **सुप्रीम कमांडर** नियुक्त किया गया और बाद में **21 अक्तूबर 1943** को उन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार अथवा **आज़ाद हिंद** की स्थापना की।
- इसे **जापान, जर्मनी, इटली** और चीन (वांग जिंगवेई के नेतृत्व में) सहित **9 देशों** द्वारा मान्यता दी गई।

मिशन शक्ति

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान ने महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचते हुए **9 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुँच बनाने में सफलता प्राप्त की** है।

मुख्य बिंदु

- **मिशन शक्ति अभियान के बारे में:**
  - '**मिशन शक्ति**' उत्तर प्रदेश सरकार की एक **महत्त्वाकांक्षी बहु-आयामी योजना** है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की **सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता** सुनिश्चित करना है।
  - इसका शुभारंभ 17 **अक्तूबर 2020** में किया गया था और अब तक यह अभियान **पाँच चरणों** में संपन्न हो चुका है।
- **उपलब्धियाँ और आँकड़े:**
  - **1, 707 संभावित बाल विवाह** रोके गए, जिससे बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हुई।
  - **महिला हेल्पलाइन 1090** ने अब तक **7.78 लाख मामलों** को सफलतापूर्वक निपटाया।
  - **वन स्टॉप सेंटरों** ने हिंसा और दुर्व्यवहार के **2.10 लाख से अधिक मामलों** में सहायता प्रदान की।
  - मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से **23.40 लाख लड़कियों** को लाभ प्रदान किया गया।
  - **आकांक्षी ज़िलों में 2 लाख से अधिक बालिकाओं** की पहचान कर उनके **समग्र विकास** के लिये सहायता दी गई।
- **सुरक्षा हेतु बुनियादी ढाँचे में निवेश:**
  - राज्य में **100 गुलाबी पुलिस बूथ** स्थापित किये गए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **1090 कॉल सेंटर** को **80 अतिरिक्त टर्मिनलों** के साथ विस्तार दिया गया है।
- 189 नगरीय निकायों में **1, 100 से अधिक गुलाबी शौचालयों** का निर्माण किया गया है।
- विशेष आयोजनों, प्रशिक्षण सत्रों और अभियानों के माध्यम से **गाँवों, स्कूलों, कॉलेजों और शहरी वार्डों** में पहुँच बनाई गई है।
- **साइबर अपराध,** घरेलू हिंसा, **मानसिक स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता** पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

- **परिचय**
  - **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना** की शुरुआत **अप्रैल 2019** में उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग द्वारा की गई।
  - योजना के तहत, परिवार में **कन्या का जन्म** होने पर उसे **15 हज़ार रुपए** की वित्तीय सहायता दी जाती है।
  - यह राशि बेटी के जन्म से लेकर **स्नातक** होने तक, छह चरणों में प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है।
  - एक परिवार से **अधिकतम दो बेटियों** को इस योजना का लाभ प्राप्त होता है।
- **उद्देश्य**
  - योजना के प्रमुख उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, **बाल विवाह की रोकथाम**, **स्वास्थ्य और शिक्षा में वृद्धि** तथा **आत्मनिर्भरता** को बढ़ावा देना हैं।

जीएसटी संग्रह में मेरठ शीर्ष पर

चर्चा में क्यों ?

अप्रैल 2025 में **उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़ोन** ने **राज्य कर विभाग के अंतर्गत** जीएसटी **संग्रह** में पूरे प्रदेश में **पहला स्थान** प्राप्त किया है।

मुख्य बिंदु

- **जीएसटी संग्रह के बारे में:**
  - **प्रदेश में** लखनऊ का कॉरपोरेट सर्किल मुख्यालय दूसरे स्थान पर रहा। जबकि तीसरे, चौथे और पाँचवें स्थान पर क्रमशः **गौतमबुद्ध नगर**, **लखनऊ द्वितीय जोन** और **बरेली ज़ोन** रहे।
  - **राज्य कर विभाग के पोर्टल के अनुसार**, अप्रैल 2024 में मेरठ ज़ोन द्वारा 147.34 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया गया था, जबकि **अप्रैल 2025 के लिये 287.08 करोड़ रुपए का लक्ष्य** निर्धारित किया गया था।
  - **मेरठ ज़ोन ने इस वर्ष अप्रैल में 211.87 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह कर लक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त किया**।
  - **आबकारी विभाग ने भी राजस्व में उल्लेखनीय योगदान दिया**, जहाँ **अप्रैल 2025 में शराब बिक्री से 103 करोड़ रुपए की आय हुई**, जो पिछले वर्ष (अप्रैल 2024) में प्राप्त **78.96 करोड़ रुपए की तुलना में 42.04 करोड़ रुपए अधिक** है।
  - यह सफलता **बढ़ती टैक्स अनुपालना, व्यापारियों की जागरूकता, आईटीसी नियमों में सुधार** तथा **डिजिटल निगरानी व्यवस्था** के सुदृढ़ीकरण से संभव हो पाई है।
  - **टेलीकम्युनिकेशन, निर्माण, शिक्षा और** सेवा क्षेत्र जैसे उद्योगों के विस्तार ने इस संग्रह को गति दी है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

वस्तु एवं सेवा कर

- **परिचय:** GST एक मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली है, जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
  - यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे **1 जुलाई, 2017 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016** के माध्यम से '**एक राष्ट्र एक कर**' के नारे के साथ भारत में लागू किया गया था।
- **GST के लाभ:**
  - **सरलीकृत कर व्यवस्था:** GST ने कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे अनुपालन आसान हो गया और व्यवसायों के लिये कागज़ी कार्रवाई कम हो गई।
  - **पारदर्शिता में वृद्धि:** ऑनलाइन **GST पोर्टल** कर प्रशासन को सरल बनाता है और प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
  - **कर का बोझ कम होना:** व्यापक करों के समाप्त होने से कीमतें कम होने से उपभोक्ताओं को लाभ होता है।
  - **आर्थिक विकास को बढ़ावा:** कर बाधाओं को दूर करके और दक्षता में सुधार करके, **GST से उच्च आर्थिक विकास तथा रोज़गार सृजन में योगदान** की उम्मीद है।
- **GST परिषद:** GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में **GST के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिये ज़िम्मेदार** है।
  - संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A (1) के अनुसार, **GST परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा** किया गया था।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM)

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) के तहत राज्य के युवाओं को **वैश्विक स्तर का तकनीकी कौशल** प्रदान के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), **रुड़की** के साथ एक **समझौता ज्ञापन (MoU)** पर हस्ताक्षर किये।

मुख्य बिंदु

- **समझौता ज्ञापन के बारे में:**
  - इस समझौते के माध्यम से **राज्य सरकार और IIT रुड़की** के बीच तकनीकी सहयोग की स्थापना की गई है, जिसका लक्ष्य **युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी दक्षता** से युक्त करना है।
  - युवाओं को **IIT रुड़की के विशेषज्ञों** के मार्गदर्शन में निम्नलिखित सुविधाएँ प्राप्त होंगी:
    - **उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण**
    - **नवाचार-संचालित शिक्षा**
    - **अनुसंधान के अवसर**
    - स्टार्टअप **सहयोग और परामर्श**
  - यह पहल युवाओं को **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर** पर **स्पर्द्धा के लिये सक्षम** बनाएगी, जिससे उनकी **रोज़गार क्षमता में मज़बूती** आएगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM)

- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की स्थापना **13 सितंबर, 2013** को उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के तहत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी के रूप में की गई थी।
- **वर्ष 2022 तक 500 मिलियन लोगों** को कुशल बनाने के लक्ष्य के साथ **वर्ष 2009 में एक राष्ट्रीय कौशल विकास नीति** शुरू की गई थी। राष्ट्रीय योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 4 मिलियन से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान करना है।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने और राज्य के युवाओं को रोज़गारपरक कौशल प्रदान करने के लिये UPSDM की स्थापना की गई है।
  - **राज्य कौशल विकास नीति का लाभ उठाते हुए सभी कौशल विकास पहलों का समन्वय करना अनिवार्य है।**
  - इसने कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के लिये सरकारी प्रशिक्षण भागीदारों के अलावा निजी प्रशिक्षण भागीदारों को सूचीबद्ध किया।

यूपी-एग्रीस और एआई प्रज्ञा कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के **मुख्यमंत्री द्वारा** विश्व बैंक **के अध्यक्ष** की उपस्थिति में लखनऊ में **'यूपी-एग्रीस'** और **'एआई प्रज्ञा'** कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया।

मुख्य बिंदु

- **यूपी-एग्रीस के बारे में:**
  - **यह** कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों के **28 ज़िलों** में लागू किया जाएगा।
  - इस कार्यक्रम का मुख्य **उद्देश्य** कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, **प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण** सुनिश्चित करना और किसानों की **आय बढ़ाना** है।
  - कार्यक्रम की **कुल लागत 3900 करोड़** रुपए है, जिसमें 2737 करोड़ रुपए का ऋण **विश्व बैंक** द्वारा प्रदान किया जाएगा। जबकि राज्य सरकार इस योजना में 1166 करोड़ रुपए का **अंशदान** देगी।
  - **6 वर्ष** की यह ऋण सहायता, जिसे **1.23% ब्याज दर** पर **35 वर्षों** में चुकाया जाएगा, से **10 लाख किसान** लाभान्वित होंगे — जिनमें से **30% महिलाएँ** होंगी।
  - इस परियोजना के तहत **10,000 महिला उत्पादक समूहों** को जोड़ा जाएगा और **500 किसानों** को उन्नत प्रशिक्षण के लिये **विदेश** भेजा जाएगा।
- **एआई प्रज्ञा कार्यक्रम:**
  - **'एआई प्रज्ञा'** कार्यक्रम का मुख्य **उद्देश्य** उत्तर प्रदेश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और **डिजिटल तकनीकों** के क्षेत्र में **नेतृत्वकारी राज्य** के रूप में स्थापित करना है।
  - इस कार्यक्रम के अंतर्गत **10 लाख युवाओं** को **AI, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स** और साइबर सुरक्षा जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में **प्रशिक्षण** और **प्रमाण-पत्र** प्रदान किया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इस पहल से प्रदेश में **AI आधारित स्टार्टअप** को बढ़ावा मिलेगा, **रोज़गार के अवसर** बढ़ेंगे और **डिजिटली दक्ष कार्यबल** का निर्माण होगा।
- कार्यक्रम का संचालन **शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, सचिवालय प्रशासन** जैसे विभिन्न राज्य विभागों के **सहयोग** से किया जाएगा।

विश्व बैंक

- **परिचय:**
  - इसे **वर्ष 1944 में IMF के साथ मिलकर** पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) के रूप में स्थापित किया गया था। **बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया।**
  - विश्व बैंक समूह पाँच संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिये कार्य कर रहा है।
  - विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है।
- **सदस्य:**
  - **189 देश** इसके **सदस्य हैं।**
  - **भारत भी इसका सदस्य है।**
- **पाँच विकास संस्थान:**
  - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD)
  - अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)
  - बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी (MIGA)
  - निवेश विवादों के निपटान के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)
    - भारत ICSID का सदस्य नहीं है।
- **विश्व बैंक की शेयरधारिता:**
  - 16.41% वोटों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा एकल शेयरधारक है, इसके बाद जापान (7.87%), जर्मनी (4.49%), यूनाइटेड किंगडम (4.31%), और फ्राँस (4.31%) का स्थान है। शेष शेयर अन्य सदस्य देशों के बीच विभाजित हैं।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM)

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) के तहत राज्य के युवाओं को **वैश्विक स्तर का तकनीकी कौशल** प्रदान के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), **रुड़की** के साथ एक **समझौता ज्ञापन (MoU)** पर हस्ताक्षर किये।

मुख्य बिंदु

- **समझौता ज्ञापन के बारे में:**
  - इस समझौते के माध्यम से **राज्य सरकार और IIT रुड़की** के बीच तकनीकी सहयोग की स्थापना की गई है, जिसका लक्ष्य **युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी दक्षता** से युक्त करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- युवाओं को **IIT रुड़की के विशेषज्ञों** के मार्गदर्शन में निम्नलिखित सुविधाएँ प्राप्त होंगी:
  - **उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण**
  - **नवाचार-संचालित शिक्षा**
  - **अनुसंधान के अवसर**
  - **स्टार्टअप सहयोग और परामर्श**
- यह पहल युवाओं को **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर** पर **स्पर्द्धा के लिये सक्षम** बनाएगी, जिससे उनकी **रोज़गार क्षमता में मज़बूती** आएगी।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM)

- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की स्थापना **13 सितंबर, 2013** को उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के तहत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी के रूप में की गई थी।
- **वर्ष 2022 तक 500 मिलियन लोगों** को कुशल बनाने के लक्ष्य के साथ **वर्ष 2009 में एक राष्ट्रीय कौशल विकास नीति** शुरू की गई थी। राष्ट्रीय योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 4 मिलियन से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान करना है।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने और राज्य के युवाओं को रोज़गारपरक कौशल प्रदान करने के लिये UPSDM की स्थापना की गई है।
  - **राज्य कौशल विकास नीति का लाभ उठाते हुए सभी कौशल विकास पहलों का समन्वय करना अनिवार्य है।**
  - इसने कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के लिये सरकारी प्रशिक्षण भागीदारों के अलावा निजी प्रशिक्षण भागीदारों को सूचीबद्ध किया।

ब्रह्मोस मिसाइल

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के **लखनऊ में** ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन यूनिट का उद्घाटन किया गया।

मुख्य बिंदु

- ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में:
  - भारत-रूस संयुक्त उद्यम, ब्रह्मोस मिसाइल की **मारक क्षमता 290 किमी. है** और यह मैक 2.8 (ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना) की उच्च गति के साथ **विश्व की सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइल** है।
    - इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है।
  - यह दो चरणों वाली (**पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट**) मिसाइल है।
  - यह एक मल्टीप्लेटफॉर्म मिसाइल है **जिसे स्थल, वायु एवं समुद्र में बहुक्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता** है जो खराब मौसम के बावजूद दिन और रात में काम कर सकती है।
  - यह "फायर एंड फॉरगेट/दागो और भूल जाओ" सिद्धांत पर काम करती है यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **लखनऊ ब्रह्मोस यूनिट के बारे में:**
  - यूनिट की स्थापना **300 करोड़ रुपए** की लागत से **उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (UP DIC)** के अंतर्गत की गई है।
  - यह भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और रूस की कंपनी NPOM का **संयुक्त उपक्रम** है।
  - इसमें भारत की 50.5% और रूस की 49.5% हिस्सेदारी है।
  - पहले चरण में यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल के **कल-पुर्जे जोड़े जाएंगे** और बाद में **पूर्ण निर्माण** कार्य शुरू किया जाएगा।
  - यूनिट में प्रतिवर्ष **100 से 150 अगली पीढ़ी की मिसाइलें** बनाई जाएंगी।
  - नए संस्करण का वज़न **2,900 किग्रा से घटकर 1,290 किग्रा** कर दिया गया है।
  - इसकी रेंज **300 किमी से अधिक** होगी।

उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा

- यह एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य **भारतीय एयरोस्पेस** और **रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता** को कम करना है।
- इसमें **6 नोड्स** हैं- अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झाँसी और लखनऊ।
- **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA)** को राज्य की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर इस परियोजना को निष्पादित करने के लिये **नोडल एजेंसी** बनाया गया है।
- इस कॉरिडोर/गलियारे का **उद्देश्य राज्य को सबसे बड़े और उन्नत रक्षा विनिर्माण केंद्रों** में से एक के रूप में **स्थापित** करना एवं विश्व मानचित्र पर लाना है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)

- **परिचय:**
  - **DRDO की स्थापना** 1958 में भारतीय सेना के **तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (TDE), तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (DTDP)** और **रक्षा विज्ञान संगठन (DSO)** का संयोजन करके की गई थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- DRDO भारत सरकार के **रक्षा मंत्रालय** का अनुसंधान एवं विकास विंग है।
- आरंभ में DRDO के पास 10 प्रयोगशालाएँ थीं, वर्तमान में यह 41 प्रयोगशालाओं और 5 DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं (DYSL) का संचालन करता है।

- **सिद्धांत:**
  - DRDO का मार्गदर्शक सिद्धांत "बलस्य मूलं विज्ञानम्" **(शक्ति विज्ञान में निहित है) है,** जो राष्ट्र को शांति और युद्ध दोनों ही स्थिति में मार्गदर्शित करता है।
- **मिशन:**
  - इसका मिशन तीनों सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों से लैस करते हुए **महत्त्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों तथा प्रणालियों में आत्मनिर्भर** होना है

CIL और UPRVUNL के बीच समझौता

चर्चा में क्यों?

कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UPRVUNL) ने प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने हेतु **समझौता ज्ञापन (MoU)** पर हस्ताक्षर किये हैं।

मुख्य बिंदु

- **समझौता ज्ञापन के बारे में:**
  - यह समझौता CIL की **हरित ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक पहल** का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश की **तेज़ी से बढ़ती ऊर्जा मांग** को पूरा करने की दिशा में एक मज़बूत कदम है।
  - यह एक **गैर-बाध्यकारी (Non-binding) समझौता है, जो** उत्तर प्रदेश के भीतर **500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना** स्थापित करने के **उद्देश्य** से किया गया है।
- **सौर ऊर्जा**
  - सौर ऊर्जा, जिसे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, एक स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा स्रोत है। यह सौर प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपयोग की जाती है, जो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है:
    - **सौर तापीय:** इसमें सूर्य की ऊष्मा का उपयोग पानी को गर्म करने के लिये किया जाता है।
    - **सौर फोटोवोल्टिक (पीवी):** इसमें सूर्य की किरणों को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिये फोटोवोल्टिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है।
  - **सौर ऊर्जा का उपयोग:**
    - सौर प्रौद्योगिकियाँ मापनीय और लचीली होती हैं, जो पूरे शहर को सौर फार्मों के माध्यम से बिजली प्रदान कर सकती हैं।
    - विकेंद्रीकृत प्रणालियों के द्वारा दूरदराज़ क्षेत्रों में भी बिजली की आपूर्ति की जा सकती है।
    - छतों पर सौर पैनल लगाकर घरों और वाणिज्यिक भवनों को ऊर्जा प्रदान की जा सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उदाहरण:** कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक ऐसा उदाहरण है जहाँ सौर ऊर्जा का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है।
  - **सौर ऊर्जा के महत्त्व:**
    - जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी।
    - **कार्बन उत्सर्जन** को कम करना।
    - वायु गुणवत्ता में सुधार।
    - **ऊर्जा तक पहुँच और सुरक्षा** को बढ़ावा देना।

कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)

- **परिचय:** CIL भारत में एक **सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी है**, जो देश में कोयला संसाधनों के उत्पादन और प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार है।
  - इसकी स्थापना **वर्ष 1975 में की गई थी,** जो **विश्व की सबसे बड़ी** कोयला उत्पादक खनन कंपनी **है।**
- **संगठनात्मक संरचना:** CIL को **'महारत्न' सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।** यह ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) जैसी **8 सहायक कंपनियों के माध्यम से कार्य करती है।**
  - **महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL)** CIL की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक सहायक कंपनी है।
- **सामरिक महत्त्व:** भारत की **स्थापित विद्युत क्षमता का आधे से अधिक हिस्सा** कोयला आधारित है, जिसमें CIL देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 78% आपूर्ति करता है।
  - **भारत की प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं** में भी कोयले का योगदान 40% है।
- **खनन क्षमता: आठ भारतीय राज्यों** में CIL **84 खनन क्षेत्रों** में कार्य करती है तथा कुल **313 सक्रिय खदानों का प्रबंधन करती है।**

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UPRVUNL)

- यह राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला एक तापीय विद्युत उत्पादन उपक्रम है, जो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित पाँच ताप विद्युत ग्रहों का संचालन करता है।
- इसका गठन **25 अगस्त** 1980 को **कंपनी अधिनियम,** 1956 के अंतर्गत किया गया था, ताकि राज्य में नवीन ताप विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा सके।
- निगम द्वारा निर्मित प्रथम परियोजना **ऊँचाहार ताप विद्युत ग्रह (2x210 मेगावाट)** थी, जिसे 13 **फरवरी** 1992 को **एन.टी.पी.सी.** को हस्तांतरित कर दिया गया।
- बाद में, **उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत सुधार अधिनियम** 1999 तथा **उत्तर प्रदेश स्थानांतरण योजना** 2000 के अंतर्गत **उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद** का पुनर्गठन कर इसे तीन सार्वजनिक उपक्रमों में बाँटा गया—
  - **उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड** (विद्युत उत्पादन हेतु)
  - उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत वितरण हेतु)
  - **उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड** (विद्युत पारेषण हेतु)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त

चर्चा में क्यों ?

पूर्व रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का **नया अध्यक्ष नियुक्त** किया गया है।

मुख्य बिंदु

- संघ लोक सेवा आयोग
  - संघ लोक सेवा आयोग' (UPSC) एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किये गए हैं।
  - **सदस्यों की नियुक्ति:** UPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  - **कार्यालय:** UPSC का कोई भी सदस्य छह साल की अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेगा।
  - **पुनर्नियुक्ति:** कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है अपने कार्यालय में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
  - **त्यागपत्र:** संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।
  - **सदस्यों का निष्कासन/निलंबन:** संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा।
    - राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय पूर्ण होने से पूर्व भी निलंबित कर सकता है, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ दिया गया है।
  - **पदच्युत:** UPSC के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह:
    - दिवालिया घोषित किया गया है।
    - अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न होता है।
    - राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिये अयोग्य है।
  - **सेवा की शर्तों को विनियमित करना:** UPSC के मामले में भारत के राष्ट्रपति की शक्ति:
    - आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करता है।
    - आयोग के कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करता है।
  - **शक्तियों पर प्रतिबंध:** UPSC के सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा।
  - **कार्यों का विस्तार करने की शक्ति:** किसी राज्य का विधानमंडल संघ लोक सेवा आयोग या SPSC द्वारा संघ या राज्य की सेवाओं के संबंध में और कानून अथवा किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा गठित किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य निकाय कॉर्पोरेट की सेवाओं के संबंध में अतिरिक्त कार्यों के अभ्यास के हेतु प्रावधान कर सकता है।
  - **व्यय:** आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित UPSC का खर्च भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से लिया जाता है।
    - **रिपोर्ट प्रस्तुत करना:** UPSC भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किये गए कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई हो उन मामलों के संदर्भ में राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है।
- अस्वीकृति के कारणों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व संसद के प्रत्येक सदन (Parliament) के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

नोएडा में पहला 3nm चिप डिज़ाइन केंद्र शुरू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने उत्तर प्रदेश के **नोएडा** में भारत के पहले **3-नैनोमीटर (3nm) चिप डिज़ाइन केंद्र** का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- **3nm तकनीक की उपलब्धि:**
  - यह तकनीक मौजूदा 7nm और 5nm की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है।
  - इससे **उच्च प्रदर्शन, कम ऊर्जा खपत और अधिक कम्प्यूटिंग दक्षता** संभव होती है।
  - यह डिज़ाइन स्तर पर नवाचार की चरम सीमा का प्रतीक है, जिसे अब भारत में साकार किया जा रहा है।
  - इस केंद्र की स्थापना **रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया** द्वारा की गई है, जो जापानी मूल की कंपनी है।
- **सरकारी रणनीति का समर्थन:**
  - यह पहल **भारत सरकार की सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम** को विकसित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
  - सरकार सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में डिज़ाइन, निर्माण, ATMP (Assembly, Testing, Marking, Packaging) और संबंधित उपकरणों की आपूर्ति को समाहित कर रही है।
  - यह भारत का सेमीकंडक्टर मिशन और Production Linked Incentive (PLI) योजना के अंतर्गत क्रियान्वित हो रही है।
- **वैश्विक मान्यता और आत्मविश्वास:**
  - विश्व आर्थिक मंच (दावोस) जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता को सराहा जा रहा है।
  - इससे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और निवेशकों में भारत को लेकर **आत्मविश्वास** बढ़ा है।

भारत का सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)

- **परिचय:**
  - ISM को **वर्ष 2021** में **इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** के तत्वावधान में कुल **76,000 करोड़ रुपए** के वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था।
  - यह देश में **संवहनीय सेमीकंडक्टर** एवं **डिस्प्ले पारितंत्र** के विकास के लिये एक व्यापक कार्यक्रम का अंग है।
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर/अर्द्धचालक, डिस्प्ले विनिर्माण और डिज़ाइन पारितंत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को **वित्तीय सहायता** प्रदान करना है।
  - परिकल्पना की गई है कि ISM **सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग** के **वैश्विक विशेषज्ञों** के नेतृत्व में योजनाओं के कुशल, सुसंगत एवं सुचारू कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **घटक:**
  - **भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स स्थापित करने की योजना:**
- यह सेमीकंडक्टर फैब (विनिर्माण संयंत्र) की स्थापना के लिये पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर वेफर (पटलिका) फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना हेतु निवेश आकर्षित करना है।
- **सेमीकंडक्टर चिप्स:**
  - यह सेमीकंडक्टर (सिलिकॉन या जर्मेनियम) से बना एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के **बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक** के रूप में कार्य करता है।
  - इन चिप्स में एक नाखून से भी छोटी चिप पर अरबों माइक्रोस्कोपिक स्विच हो सकते हैं।
  - सेमीकंडक्टर चिप का मूल घटक छोटे ट्रांजिस्टर से निर्मित एक **सिलिकॉन वेफर** है, जो विभिन्न कम्प्यूटेशनल निर्देशों के अनुसार विद्युत् प्रवाह को नियंत्रित करता है।
  - यह विभिन्न कार्य करता है, जैसे **डेटा संसाधित** करना, जानकारी संग्रहीत करना या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित करना आदि।
  - ये स्मार्टफोन, कंप्यूटर और एकीकृत सर्किट सहित लगभग प्रत्येक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का एक **महत्त्वपूर्ण हिस्सा** हैं।

गोमती नदी

चर्चा में क्यों?

गोमती नदी में ऑक्सीजन की कमी, फेकल कोलीफॉर्म की अधिकता और अनुपचारित सीवेज की बढ़ती मात्रा को लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों और नागरिकों ने गंभीर चिंता जताई है।

मुख्य बिंदु

- **गोमती नदी:**
  - **गोमती** गंगा नदी की 960 किमी. लंबी सहायक नदी है।
  - यह पीलीभीत ज़िले के माधो टांडा से निकलती है और ग़ाज़ीपुर के कैथी में गंगा में मिल जाती है।
  - लखनऊ में नदी को शहरीकरण के कारण बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें निम्न ऑक्सीजन स्तर और बढ़ता मल प्रदूषण शामिल है।
- **शहरीकरण दबाव और सीवेज बोझ:**
  - तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या और शहर का विस्तार गोमती के पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ रहा है।
  - शहर में वर्तमान में 730 MLD की आवश्यकता में से 450 MLD का उपचार किया जाता है; लगभग 280 MLD अनुपचारित सीवेज सीधे नदी में प्रवाहित हो जाता है।
  - **मेगा टाउनशिप परियोजनाएँ:**
    - लखनऊ **विकास प्राधिकरण (LDA)** चार प्रमुख परियोजनाओं की योजना बना रहा है: वेलनेस सिटी, आईटी सिटी, एजुकेशनल सिटी और प्रबंध नगर।
    - अन्य प्रमुख विकासों में अनंत नगर (मोहन रोड) और एयरो सिटी (अमौसी हवाई अड्डा) शामिल हैं।
    - ये टाउनशिप प्रमुख गलियारों के किनारे स्थित हैं और इससे गोमती पर जनसंख्या घनत्व और सीवेज का भार और बढ़ जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **टिकाऊ शहरी नियोजन की आवश्यकता:**
    - **पर्यावरणविद** एकीकृत जल निकासी, हरित स्थान, सीवेज उपचार संयंत्र और जल पुनः उपयोग प्रणालियों सहित वैज्ञानिक शहरी नियोजन की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:**
    - नदी में मल कोलीफॉर्म के स्तर में तीव्र वृद्धि और ऑक्सीजन में गिरावट से गंभीर स्वास्थ्य और पारिस्थितिकीय खतरा उत्पन्न हो रहा है।
    - नालों से अनुपचारित जल का निर्वहन तथा अपर्याप्त बुनियादी संरचना जलीय जीवन और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं।

एक जनपद एक उत्पाद के तहत नए उत्पाद शामिल

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना के तहत 12 **नए उत्पादों को शामिल किया**।

मुख्य बिंदु

- **एक जनपद एक उत्पाद योजना के बारे में:**
    - यह योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा **24 जनवरी** 2018 को शुरू की गई थी।
    - इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक ज़िले के **विशिष्ट और पारंपरिक उत्पादों की पहचान** की जाती है तथा उन्हें भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया जाता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वे उत्पाद किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित हैं।
    - राज्य सरकार इन उत्पादों को **राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार** में पहचान दिलाने के लिये उद्यमियों को **वित्तीय सहायता, सामूहिक विपणन सुविधाएँ** तथा अन्य संसाधन प्रदान करती है।
    - इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:
        - **राज्य में रोज़गार के नए अवसरों का सृजन**
        - **राज्य के निर्यात को बढ़ावा देना**
        - **उत्तर प्रदेश को वर्ष** 2029 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में योगदान देना
    - अब तक इस योजना के अंतर्गत 62 **उत्पाद** सूचीबद्ध थे, किंतु 12 **नए उत्पाद** जोड़े जाने के बाद यह संख्या बढ़कर 74 **हो गई है**।
- **12 नए उत्पाद जो शामिल किये गए हैं:**
    - **बागपत** – कृषि यंत्र एवं संबंधित उपकरण
    - **सहारनपुर** – होज़री उत्पाद
    - **फिरोज़ाबाद** – खाद्य प्रसंस्करण
    - **गाज़ियाबाद** – मैटल, वस्त्र एवं परिधान
    - **अमरोहा** – मेटल एवं वुडन हैंडीक्राफ्ट
    - **आगरा** – पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवीयर
    - **हमीरपुर** – मैटल उत्पाद

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **बरेली** – लकड़ी के उत्पाद
- **एटा** – चिकोरी उत्पाद
- **प्रतापगढ़** – खाद्य प्रसंस्करण
- **बिजनौर** – ब्रश और संबंधित उत्पाद
- **बलिया** – सत्तू उत्पाद

भौगोलिक संकेत (GI) टैग

- भौगोलिक संकेत (GI) टैग, एक ऐसा **नाम या चिह्न** है जिसका **उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है** जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं।
- GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल **अधिकृत उपयोगकर्त्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों** को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है।
- यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किये जाने से भी बचाता है।
- एक पंजीकृत GI टैग **10 वर्षों के लिये वैध** होता है।
- GI पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है।
- **विधिक ढाँचा:**
- यह बौद्धिक संपदा अधिकार **के व्यापार-संबंधित पहलुओं (TRIPS)** पर WTO समझौते द्वारा विनियमित एवं निर्देशित है।

भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपरलॉय सामग्री संयंत्र

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय **रक्षा मंत्री** और **उत्तर प्रदेश के** मुख्यमंत्री ने **लखनऊ में** भारत के सबसे बड़े **टाइटेनियम और सुपरएलॉय मटेरियल्स प्लांट** का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- **प्लांट के बारे में:**
  - यह टाइटेनियम **प्लांट PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड** की सहायक कंपनी एरोलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा संचालित है।
  - यह प्लांट **50 एकड़** क्षेत्र में फैला है और इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता **6,000 टन** है, जिससे यह **दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल-साइट टाइटेनियम रीमेल्टिंग सुविधा** बन गया है।
  - इस संयंत्र में उपयोग की जा रही अत्याधुनिक तकनीकों में शामिल हैं:
    - **वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग (VAR)**
    - **इलेक्ट्रॉन बीम (EB)**
    - **प्लाज्मा आर्क मेल्टिंग (PAM)**
    - **वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग (VIM)**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इन तकनीकों से aerospace-grade **सामग्री** का घरेलू उत्पादन संभव हो सकेगा।

- टाइटेनियम प्लांट के साथ-साथ **सात अतिरिक्त उन्नत सुविधाओं** की आधारशिला भी रखी गई। इनमें प्रमुख हैं:
  - **एयरोस्पेस प्रिसिजन कास्टिंग प्लांट:** जो सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग बनाते हैं, जो जेट इंजन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - **एयरोस्पेस फोर्ज शॉप और मिल उत्पाद संयंत्र:** बिलेट्स, बार और प्लेट्स जैसे महत्त्वपूर्ण सामग्री के निर्माण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
  - **एयरोस्पेस प्रिसिजन मशीनिंग शॉप:** जो रेडी-टू-असेंबल अल्ट्रा-प्रिसिजन सीएनसी मशीनीकृत घटकों की क्षमता प्रदान करता है।
- यह परियोजना उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य **रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता** को बढ़ावा देना है।

टाइटेनियम

- यह एक हल्की एवं मज़बूत धातु है। यह इस्पात जैसा **मज़बूत, लेकिन उससे बहुत हल्का होता** है।
- जलमग्न वस्तु बनाने के लिये टाइटेनियम पसंदीदा पदार्थ है, क्योंकि यह अधिक गहराई में भी पानी के भारी दबाव का सामना कर सकता है और इसमें जंग भी नहीं लगता है।
- टाइटेनियम धातु एल्यूमीनियम, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, लोहा और अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किया जाता है। टाइटेनियम के इन मिश्र धातुओं का **उपयोग विमानन उद्योग** में किया जाता है।
- टाइटेनियम संयुक्त प्रतिस्थापन भागों का एक घटक है, जिसमें हिप बॉल और सॉकेट शामिल हैं।
- टाइटेनियम का **प्रयोग दंत प्रत्यारोपण** में भी किया जाता है।

उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा

- यह एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य **भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा** क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना है।
- इसमें 6 नोड्स होंगे- अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झाँसी और लखनऊ।
- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) को राज्य की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर इस परियोजना को निष्पादित करने के लिये **नोडल एजेंसी** बनाया गया था।
- इस कॉरिडोर/गलियारे का उद्देश्य **राज्य को सबसे बड़े और उन्नत रक्षा विनिर्माण केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित करना** एवं विश्व मानचित्र पर लाना है।
  - **रक्षा गलियारा** एक मार्ग या पथ को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग **सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र** और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन के साथ-साथ रक्षा बलों हेतु उपकरण/परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिये किया जाता है।

यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (NAMASTE)

चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बरेली में राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्य योजना (NAMASTE) पर केंद्रित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसका **उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना** तथा सुरक्षित, सम्मानजनक आजीविका को बढ़ावा देना था।

मुख्य बिंदु

- **NAMASTE के बारे में:**
  - **यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE)** तथा **आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA)** द्वारा एक सहयोगी पहल है।
  - इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिये 349.73 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में वित्तीय वर्ष **2023-24 में लॉन्च किया गया था।**
  - इसका मुख्य उद्देश्य मैनुअल स्कैवेंजिंग **को समाप्त करना** तथा **सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देना है।**
- **मुख्य घटक:**
  - नगर स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा नियुक्त SSWs का **विवरण एकत्र** करना ताकि **लक्षित हस्तक्षेप** किये जा सकें।
  - **SSWs को** आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण, **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE)** किट और स्वास्थ्य बीमा प्राप्त होता है।
  - यह योजना **SSWs को** "सैनिप्रेन्योर्स" या स्वच्छता उद्यमी बनाने के लिये **पूंजी सब्सिडी** प्रदान करके **स्वरोज़गार और औपचारिक रोज़गार को बढ़ावा देती है।**
  - **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** में लगे कचरा बीनने वालों को वर्ष 2024 में NAMASTE योजना के तहत एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।
- **कार्यक्रम का महत्त्व**
  - यह कार्यक्रम सफाई कर्मचारियों की **सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की** दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिन्हें अक्सर खतरनाक कार्य वातावरण और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है।
  - NAMASTE के अंतर्गत मशीनीकरण पर ज़ोर देने से मैनुअल स्कैवेंजिंग में कमी आती है तथा **स्वस्थ एवं सुरक्षित कार्य स्थितियों को बढ़ावा मिलता है।**
  - (AB-PMJAY) के तहत आयुष्मान कार्डों का वितरण **स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है,** जो व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों के संपर्क में आने वाले श्रमिकों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - सिलाई मशीनें उपलब्ध कराने से **वैकल्पिक आजीविका के अवसरों** को बढ़ावा मिलता है, जिससे कौशल का विविधीकरण होता है और **आर्थिक स्थिरता** सुनिश्चित होती है।
  - NAMASTE कार्यक्रम सरकार के सामाजिक न्याय, **समावेशन और** हाशिये पर पड़े समुदायों के कल्याण के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है।
  - यह कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों (SDG) **को** प्राप्त करने में मदद करता है, विशेष रूप से स्वच्छ कार्य, स्वास्थ्य और कल्याण (SDG 3 और 8) से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मैनुअल स्कैवेंजिंग

- मैनुअल स्कैवेंजिंग को "सार्वजनिक सड़कों और शुष्क शौचालयों से मानव मल को हटाना, सेप्टिक टैंक, गटर और सीवर की सफाई करना" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- भारत ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (PEMSR) के तहत इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- यह अधिनियम हाथ से मैला ढोने की प्रथा को "**अमानवीय प्रथा**" के रूप में परिभाषित करता है और मैनुअल स्कैवेंजरों द्वारा सामना किये जाने वाले **ऐतिहासिक अन्यायों से मुक्त** कराने का प्रयास करता है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित योजनाएँ

- मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के लिये स्वरोज़गार योजना (SESRM)
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC)
- राष्ट्रीय गरिमा अभियान
- स्वच्छ भारत मिशन 2.0
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

भारत की पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन

चर्चा में क्यों?

भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने **भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की**।

मुख्य बिंदु

- **जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन के बारे में:**
  - यह ट्रेन कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य को दुधवा टाइगर रिज़र्व से जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को राज्य की समृद्ध जैवविविधता का अनुभव करने का मौका मिलेगा।
  - वर्तमान में यह सेवा सप्ताहांत पर संचालित है, लेकिन इसे दैनिक परिचालन में विस्तारित करने की योजना बनाई जा रही है, **जिससे यह वर्ष भर अधिक आगंतुकों के लिये सुलभ हो सके**।
- **एक गंतव्य, तीन वन:**
- **यह योजना उत्तर प्रदेश के** इको टूरिज्म बोर्ड **की "एक गंतव्य, तीन वन"** थीम का हिस्सा है।
- **इसका उद्देश्य** दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, **कतर्नियाघाट** और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य **को एक संयुक्त पर्यटन स्थल** के रूप में विकसित करना है, ताकि वन्यजीवों के बीच बेहतर और अधिक अनुभव प्राप्त हो सके।
- **आर्थिक महत्त्व:**
  - इस ट्रेन से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, नए रोज़गार सृजित होंगे तथा सतत् विकास को बढ़ावा मिलेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य

- यह उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में **ऊपरी गंगा के मैदान में** स्थित है, जो प्राकृतिक रूप से एक समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है।
- यह 400.6 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है।
- **संरक्षण:**
  - वर्ष 1987 में इसे 'प्रोजेक्ट टाइगर' के दायरे में लाया गया और **किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य** और **दुधवा राष्ट्रीय उद्यान** के साथ मिलकर यह दुधवा टाइगर रिज़र्व बनाता है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी।
  - अभयारण्य में **चीतल, हिरण, जंगली सूअर, बाघ, हाथी और तेंदुए** आदि प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं।
  - यह **घड़ियाल, बाघ, गैंडे, गंगा डॉल्फिन, दलदली हिरण, हिसपिड खरगोश, बंगाल फ्लोरिकन, सफेद पीठ वाले और लंबी चोंच वाले गिद्धों** सहित कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है।
- **पारिस्थितिकी संरचना:**
  - यह क्षेत्र **मिश्रित पर्णपाती वन** से घिरा हुआ है, जिसमें साल और सागौन के जंगल, हरे-भरे घास के मैदान, असंख्य दलदल और आर्द्रभूमि शामिल हैं।
  - इस क्षेत्र में **गिरवा नदी बहती है,** जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करती है।

दुधवा टाइगर रिज़र्व

- यह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर लखीमपुर-खीरी ज़िले में स्थित है।
- अपनी समृद्ध जैवविविधता के लिये जाना जाने वाला यह स्थान बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडे, दलदली हिरण, तेंदुए और कई पक्षी प्रजातियों का **घर है।**
- **तराई आर्क लैंडस्केप (TAL) में शामिल हैं:**
  - दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
  - किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य
  - कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य
- ये **तीन क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत दुधवा टाइगर रिज़र्व का निर्माण करते हैं,** जो राज्य में रॉयल बंगाल टाइगर्स की अंतिम व्यवहार्य आबादी की रक्षा करते हैं।
- दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर अभयारण्य वर्ष **1987 में तथा कतर्नियाघाट वर्ष 2000 में इसमें शामिल किये** गए।

शाही जामा मस्जिद विवाद एवं पूजा स्थल अधिनियम 1991

चर्चा में क्यों ?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय **ने उत्तर** प्रदेश के संभल ज़िले में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिये एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

मुख्य बिंदु

शाही जामा मस्जिद विवाद

- **पृष्ठभूमि:** यह मामला स्थानीय निवासियों द्वारा संभल अदालत में दायर याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसमें दावा किया गया कि यह स्थल मूलत: श्री हरिहर मंदिर था, जिसे कथित तौर पर **मुगल सम्राट बाबर ने वर्ष** 1529 में ध्वस्त कर दिया था।
- **कानूनी स्थिति:** शाही जामा मस्जिद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत एक संरक्षित स्मारक है। इसे भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- **शाही जामा मस्जिद और उपासना स्थल अधिनियम, 1991:** उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 इस विवाद के केंद्र में है।
  - अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि उपासना स्थलों का धार्मिक स्वरूप, जैसा कि वे 15 अगस्त 1947 **को थे, संरक्षित किया जाना चाहिये** तथा ऐसे स्थानों की धार्मिक पहचान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर रोक लगाई गई है।
  - शाही जामा मस्जिद विवाद में मस्जिद के धार्मिक स्वरूप को परिवर्तित करने की मांग करके अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी गई है।

उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991

- **परिचय: उपासना स्थल** (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का उद्देश्य उपासना स्थलों की धार्मिक स्थिति को संरक्षित रखना तथा **विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच या एक ही संप्रदाय** के भीतर धर्मांतरण को रोकना है।
  - इस अधिनियम का उद्देश्य इन स्थानों के धार्मिक चरित्र को स्थिर रखते हुए तथा ऐसे धर्मांतरण से उत्पन्न विवादों को रोककर सांप्रदायिक सद्भाव **बनाए रखना** है।
- **अधिनियम के प्रमुख प्रावधान**
  - **धारा 3:** किसी भी उपासना स्थल को, **पूर्णत: या आंशिक रूप से,** एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे धार्मिक संप्रदाय में परिवर्तित करने पर रोक लगाती है।
  - **धारा 4(1):** यह अनिवार्य करता है कि उपासना स्थल की धार्मिक पहचान **15 अगस्त** 1947 की स्थिति से अपरिवर्तित रहनी चाहिये। धार्मिक चरित्र को बदलने का कोई भी प्रयास निषिद्ध है।
  - **धारा 4(2):** यह विधेयक **15 अगस्त** 1947 से पहले किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन से संबंधित सभी चल रही कानूनी कार्यवाहियों को समाप्त करता है तथा ऐसे स्थानों की धार्मिक स्थिति को चुनौती देने वाले नए मामलों को शुरू करने पर रोक लगाता है।
  - **धारा 5 (अपवाद):** अयोध्या विवाद (बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि), जिसे अधिनियम से छूट दी गई।
    - अयोध्या विवाद के अलावा, अधिनियम में निम्नलिखित को भी छूट दी गई है: कोई भी उपासना स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है, या प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत आने वाला कोई पुरातात्त्विक स्थल है।
    - ऐसे मामले जो पहले ही आपसी समझौते से सुलझा लिये गए हों या निपटा दिये गए हों।
    - अधिनियम के लागू होने से पहले हुए धर्मांतरण।
  - **धारा 6 (दंड):** अधिनियम में उल्लंघन के लिये कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें तीन वर्ष तक का कारावास और उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने का प्रयास करने पर ज़ुर्माना शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI)

- ASI केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। यह देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्त्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिये प्रमुख संगठन है।
- **यह प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत देश के भीतर** सभी पुरातात्त्विक उपक्रमों की देख-रेख करता है।
- यह 3,650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्त्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्त्व के अवशेषों का प्रबंधन करता है।
- इसकी गतिविधियों में पुरातात्त्विक अवशेषों का सर्वेक्षण करना, पुरातात्त्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण तथा रखरखाव आदि शामिल हैं।
- इसकी स्थापना **वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई** थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को "**भारतीय पुरातत्त्व का जनक**" भी कहा जाता है।

बाल श्रम उन्मूलन अभियान

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक बाल श्रम को समाप्त करने के लिये एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है।

मुख्य बिंदु

अभियान के बारे में:

- इस अभियान का **उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना** और पुनर्वास का समर्थन करना है ताकि प्रत्येक बच्चे को विकास और सीखने के उचित अवसर मिल सकें।
- सरकार जन सहभागिता बढ़ाने के लिये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर **12 जून 2025 को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी।**

बंधुआ मज़दूरी उन्मूलन और बाल पुनर्वास में उत्तर प्रदेश के प्रयास

- सरकार ने **बंधुआ मज़दूरी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और वर्ष** 2018-19 से 2024-25 के बीच 1,408 व्यक्तियों का पुनर्वास किया है।
  - इन व्यक्तियों को 18.17 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, जिससे उन्हें स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिली।
- **वर्ष 2017-18 से 2024-25 के बीच,** उत्तर प्रदेश सरकार ने **12,426 बच्चों का पुनर्वास किया है,** जिससे उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद मिली है।
- राज्य **ने 1,089 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की है,** ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आय के लिये बाल श्रम पर निर्भर न रहें।
- **बाल श्रमिक विद्या योजना** के अंतर्गत सरकार ने 2,000 कामकाजी बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया है।
  - उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्षित, संरचित दृष्टिकोण के माध्यम से **बाल श्रम से निपटने** के लिये वर्ष **2020 में इस राज्य-स्तरीय पहल की शुरुआत की।**
  - इस योजना का उद्देश्य **बाल श्रमिकों को औपचारिक शिक्षा** प्रणाली में पुन: शामिल करना है, ताकि उनके सीखने के अधिकार और सम्मानजनक भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस

- **परिचय:**
  - **विश्व बाल श्रम निषेध दिवस** प्रतिवर्ष **12 जून को मनाया जाता है।**
  - इस दिवस का उद्देश्य बाल श्रम की व्यापकता तथा इसे समाप्त करने के लिये आवश्यक तत्काल कार्रवाई की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है।
- **वैश्विक सहयोग:**
  - यह दिन दुनिया भर की **सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों, नागरिक समाज समूहों और नागरिकों को एकजुट करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।**
  - यह **बाल श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने** तथा उनके शोषण को समाप्त करने के व्यावहारिक समाधानों की पहचान करने पर केंद्रित है।
- **बाल श्रम उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्य रूपरेखा:**
  - संयुक्त राष्ट्र सतत्त विकास लक्ष्य (SDG) 8.7 के अंतर्गत बाल श्रम का उन्मूलन एक प्रमुख उद्देश्य है।
  - SDG लक्ष्य 8.7 में निम्नलिखित के लिये तत्काल एवं प्रभावी उपाय करने का आह्वान करता है ताकि:
    - **जबरन मज़दूरी (Forced Labour)** का उन्मूलन किया जा सके,
    - **आधुनिक गुलामी** और **मानव तस्करी** को समाप्त किया जा सके,
    - **बाल श्रम के सबसे ख़राब रूपों**, जिसमें **बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग** भी शामिल है, को **प्रतिबंधित और समाप्त** किया जा सके।

बंधुआ मज़दूरी

- **भारत के** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा परिभाषित बंधुआ मज़दूरी, गुलामी का एक रूप है **जिसे ऋण बंधन कहा जाता है** जो सदियों से जारी है।
- इसे **आधुनिक गुलामी का सबसे गंभीर रूप माना जाता है,** जहाँ श्रमिकों को कम वेतन पर लंबे समय तक काम करने के लिये मज़बूर किया जाता है। इसमें किसी नियोक्ता द्वारा ऋण चुकाने के लिये एक निश्चित अवधि के लिये बिना वेतन के काम करने के लिये मज़बूर किया जाना शामिल हो सकता है।

बाल श्रम से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 23:** यह मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, शोषण तथा अपमानजनक कार्य स्थितियों से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **अनुच्छेद 24: यह कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के** बच्चे को कोई भी खतरनाक कार्य करने के लिये नियोजित नहीं किया जा सकता।
- **अनुच्छेद 39:** इसमें उन सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है जिनका राज्य को पालन करना चाहिये, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिये आजीविका के समान अधिकार, समान कार्य के लिये समान वेतन, श्रमिकों के स्वास्थ्य और **बच्चों की भलाई की सुरक्षा तथा बच्चों** को स्वस्थ और सम्मानजनक तरीके से विकसित होने के अवसर सुनिश्चित करना शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत के 86वें ग्रैंडमास्टर

चर्चा में क्यों ?

तमिलनाडु के **श्रीहरि LR** संयुक्त अरब अमीरात के अल ऐन में एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में भारत के 86वें ग्रैंडमास्टर (GM) **बने।**

मुख्य बिंदु

- **श्रीहरि LR के बारे में:**
  - श्रीहरि ने अपना **पहला GM नॉर्म वर्ष 2023 में कतर मास्टर्स** में और **दूसरा वर्ष 2024 में चेन्नई GM ओपन में अर्जित किया।**
  - उन्होंने **अगस्त 2024 में 2500 एलो रेटिंग पार कर ली,** लेकिन अंतिम मानदंड प्राप्त करने में उन्हें लगभग 10 महीने लग गए।
    - एलो **रेटिंग प्रणाली** कुछ खेलों, जैसे शतरंज, में अन्य खिलाड़ियों की तुलना में किसी खिलाड़ी की सापेक्षिक शक्ति को मापती है।
- **भारत के ग्रैंडमास्टर्स:**
  - पहले **भारतीय ग्रैंडमास्टर** विश्वनाथन आनंद थे, जिन्होंने वर्ष 1988 में यह खिताब जीता था।
  - पहली **भारतीय महिला ग्रैंडमास्टर कोनेरू हंपी** थीं, जिन्होंने वर्ष 2002 में 15 वर्ष की आयु में यह खिताब जीता था। उस समय वह दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंडमास्टर बनी थीं।
    - वर्तमान में **भारत में तीन महिला ग्रैंडमास्टर हैं:** कोनेरू हंपी, द्रोणावल्ली हरिका और **आर. वैशाली।**
  - प्रथम **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर मैनुअल एरॉन वर्ष 1961 में बने थे तथा** अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब जीतने वाली **प्रथम भारतीय महिला जयश्री खादिकर वर्ष 1979** में बनी थीं।

अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE)

- **परिचय:**
  - FIDE शतरंज के खेल के लिये एक वैश्विक नियामक संस्था है।
  - इसकी **स्थापना वर्ष 1924 में पेरिस, फ्राँस में हुई थी।**
  - **इसका मुख्यालय लॉज़ेन, स्विटज़रलैंड** में है।
  - यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं की **देखरेख और उनको विनियमित करता है।**
  - **एक गैर-सरकारी संस्था** के रूप में स्थापित, FIDE को वर्ष **1999 में** अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा आधिकारिक तौर पर वैश्विक खेल संगठन के रूप में **मान्यता दी गई थी।**
- **FIDE का आदर्श वाक्य:**
  - **"जेन्स ऊना सुमस"- लैटिन में इसका अर्थ है "हम एक परिवार हैं "**, जो वैश्विक शतरंज समुदाय में एकता पर ज़ोर देता है।
- **FIDE की मुख्य गतिविधियाँ:**
  - शीर्ष 10 समग्र खिलाड़ियों और शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की औसत रेटिंग के आधार पर देश की रैंकिंग जारी करता है।
  - **सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंटों** के नियमों, मानदंडों और आचरण को नियंत्रित करता है।
  - यह विश्व के राष्ट्रीय शतरंज महासंघों को जोड़ने वाले एक केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

उत्तर प्रदेश ने बुनियादी ढाँचे के विकास में बनाए दो विश्व रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्र **24 घंटे के भीतर** 10 किमी. **क्रैश बैरियर का निर्माण** और 34.24 किमी. **बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाकर सड़क निर्माण** में **दो विश्व रिकॉर्ड स्थापित किये हैं।**

- इन रिकार्डों को **गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स** और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स **द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई।**

मुख्य बिंदु

सड़क निर्माण की स्थिति

- **हरदोई और उन्नाव ज़िलों के बीच** गंगा मोटर-वे परियोजना पर निर्माण कार्य किया गया। यह मोटर-वे **भारत के सबसे लंबे सरकारी स्वामित्व वाले एक्सप्रेस-वे** का हिस्सा है।

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स

- गोल्डन **बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (GBWR)** एक वैश्विक मंच है, जो लोगों को रिकॉर्ड स्थापित करने या तोड़ने के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाने में मदद करता है।
- यह एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया प्रदान करता है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों का समर्थन करता है तथा आसान पहुँच और मान्यता के लिये दैनिक आधार पर रिकॉर्ड को अद्यतन करता है।

एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स

- एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, **जिसका मुख्यालय भारत और वियतनाम में है,** विश्व रिकॉर्ड्स यूनियन के तहत काम करता है और एशिया तथा उसके बाहर कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड पुस्तकों के साथ सहयोग करता है।
- इसकी **स्थापना वर्ष 2008 में** एशिया में अद्वितीय प्रतिभाओं और अपरिचित खेलों को मान्यता देने के लिये की गई थी, ताकि एक ऐसा मंच तैयार किया जा सके जहाँ राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक महाद्वीपीय मान्यता के लिये प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।
- **40,000 से अधिक रिकार्डों के डेटाबेस** के साथ, यह वर्ल्डकिंग के साथ साझेदारी में एक वार्षिक संस्करण प्रकाशित करता है, जो विश्व स्तर पर वितरित किया जाता है।

इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स

- **वर्ष 2006 से भारतीय अभिलेखों पर अग्रणी प्राधिकरण,** इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिये मानवीय सीमाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह **19 वर्षों से हर वर्ष प्रकाशित हो रही है और ऐसा करने वाली यह एकमात्र रिकॉर्ड बुक है,** जिसके संपादक विभिन्न देशों से हैं।

पर्यटन के लिये बुनियादी ढाँचे का विकास

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार महत्त्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के उन्नयन के लिये वर्ष 2025-26 में 4,560 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसमें 272 परियोजनाएँ शामिल हैं जिनका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, बुनियादी ढाँचे में सुधार करना और श्रद्धालुओं के लिये यात्रा को सरल बनाना है।

मुख्य बिंदु

- **परियोजना के बारे में:**
  - प्रमुख लक्षित क्षेत्रों में शामिल हैं: **अयोध्या**, **वाराणसी**, **मथुरा**, **चित्रकूट**, **प्रयागराज**, **नैमिषारण्य** और **मिर्ज़ापुर**।
    - इन स्थानों का धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्त्व बहुत अधिक है।
  - चयनित सड़कों पर **प्रतिवर्ष औसतन 5 लाख श्रद्धालु आते हैं।**
  - **कार्यान्वयन का प्रबंधन लोक निर्माण विभाग (PWD)** और **धार्मिक कार्य विभाग** द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
  - उन मार्गों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके लिये न्यूनतम भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है ताकि त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
- **परियोजना की प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **सड़क चौड़ीकरण** और **सुदृढ़ीकरण**
  - **पैदल पथ** तथा **कैरेजवे (Carriageway)** का उन्नयन
  - **सौंदर्यीकरण** एवं **विस्तार**
  - **यातायात प्रबंधन** में सुधार
  - **सड़क सुरक्षा मानकों** में वृद्धि
- **महत्त्व:**
  - **यात्रा समय में कमी** और **तीर्थयात्रियों की सुरक्षा में वृद्धि**
  - **पर्यटकों** व **श्रद्धालुओं** के लिये अधिक **सुव्यवस्थित व सुगम यात्रा**
  - **धार्मिक पर्यटन** को बढ़ावा और **स्थानीय आर्थिक विकास** में योगदान

वाराणसी के पर्यटन स्थल

- **सारनाथ: वाराणसी से 10 किमी. उत्तर-पूर्व में** गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास स्थित सारनाथ एक महत्त्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था।
- **गंगा घाट:** वाराणसी में गंगा किनारे पर स्थित प्रतिष्ठित नदी तट हैं। शहर में 88 घाट हैं, जिनमें से अधिकांश का उपयोग स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिये किया जाता है।
- **श्री काशी विश्वनाथ मंदिर:** भगवान शिव को समर्पित भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। यह एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र और तीर्थ स्थल है।
- **BHU(बनारस हिंदू विश्वविद्यालय):** ऐतिहासिक नगर वाराणसी में स्थित, जिसे काशी या **प्रकाश नगरी** भी कहा जाता है, बीएचयू (BHU) एक प्रमुख शैक्षिक एवं आध्यात्मिक केंद्र है, जो अनेक महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलों से घिरा हुआ है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मथुरा और वृंदावन क्षेत्र

- **श्री कृष्ण जन्मभूमि (मथुरा):** यह पवित्र स्थल भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, ऐसा माना जाता है कि **यहीं पर वे जेल की कोठरी में प्रकट हुए थे।**
- **श्री द्वारकाधीश मंदिर (मथुरा): मथुरा के सबसे पुराने और सबसे बड़े मंदिरों** में से एक, **जो भगवान कृष्ण को** उनके द्वारकाधीश (द्वारका के राजा) रूप में समर्पित है।
- **रमन रेती, गोकुल:** मथुरा के निकट स्थित रमन रेती (या रमन वन) को वह पवित्र भूमि माना जाता है **जहाँ युवा कृष्ण रेत पर खेला करते थे।**
- **श्री बांके बिहारी मंदिर (वृंदावन): वृंदावन में स्थित** एक प्रमुख कृष्ण **मंदिर, जो** अपनी अनूठी पूजा शैली और आध्यात्मिक वातावरण के लिये जाना जाता है।
- **इस्कॉन मंदिर, वृंदावन: इसे** श्री कृष्ण बलराम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ (इस्कॉन) द्वारा निर्मित पहला मंदिर है और विश्व में कृष्ण भक्ति का केंद्र है।
- **श्री राधा रानी मंदिर (बरसाना):** बरसाना में स्थित यह मंदिर राधा रानी को समर्पित है और ब्रज क्षेत्र का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो होली जैसे त्योहारों के दौरान बड़ी भीड़ को आकर्षित करता है।

चित्रकूट

- **रामघाट: मंदाकिनी नदी के तट** पर स्थित एक पवित्र घाट, जहाँ माना जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने स्नान किया था। यह विशेष रूप से त्योहारों के दौरान आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र है।
- **कामदगिरि:** एक जंगली पहाड़ी, **जिसे मुख्य चित्रकूट माना जाता है।** भक्त इस पहाड़ी के चारों ओर **परिक्रमा करते हैं और** इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं।
- **भरत मिलाप मंदिर: कामदगिरि परिक्रमा पथ** पर स्थित, यह मंदिर उस स्थान को चिह्नित करता है जहाँ भरत ने भगवान राम से मुलाकात कर उन्हें अयोध्या लौटने के लिये मनाया था।
- **हनुमान धारा: पहाड़ी की चोटी पर स्थित** एक सुंदर स्थान जहाँ हनुमान की मूर्ति के ऊपर से एक जलधारा बहती है। ऐसा माना जाता है कि लंका दहन के बाद भगवान राम ने **हनुमान का क्रोध यहीं शांत किया था।**
- **सती अनुसूया आश्रम:** ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसूया से जुड़ा एक प्राचीन आश्रम। यह शांत जंगलों और प्राकृतिक झरनों से घिरा हुआ है।

शादी अनुदान योजना

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) **परिवारों को विवाह अनुदान प्रदान किया है।**

- इस उपलब्धि के बावजूद, सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्टों और क्षेत्रीय **सर्वेक्षणों** से पता चलता है कि भले ही **पहुँच में सुधार** हुआ है, लेकिन **प्रणालीगत कमियाँ** अब भी बनी हुई हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य बिंदु

शादी अनुदान योजना (विवाह अनुदान योजना)

- **परिचय:**
  - यह योजना **गरीब**, **निर्बल** तथा गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले **अन्य पिछड़ा वर्ग** (OBC) वर्ग के परिवारों की **बेटियों की शादी** हेतु **वित्तीय सहायता** प्रदान करती है।
- **पात्रता मापदंड:**
  - आवेदक राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त **OBC वर्ग से होना चाहिये।**
    - अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति जो OBC श्रेणी में आते हैं, वे **इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं।**
  - लड़की और लड़के की आयु क्रमश: **18 वर्ष और 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।**
  - निराश्रित विधवाओं, विकलांगों, भूमिहीनों और प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के विवाह के लिये सब्सिडी देने में प्राथमिकता दी जाती है।
- **अनुदान राशि:** प्रति विवाह 20,000 रुपए
  - एक परिवार से **अधिकतम 2 बेटियों को** अनुदान दिया जाएगा।
- **लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि का कारण:** यह उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से आय पात्रता मानदंड में संशोधन के कारण हुई है। पहले यह सीमा शहरी और ग्रामीण BPL परिवारों तक ही सीमित थी, लेकिन **अब आय सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है,** जिससे अधिक से अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
  - इसके अलावा, **शहरी और ग्रामीण दोनों** लाभार्थियों के लिये आय पात्रता को मानकीकृत किया गया है।

योजना से संबंधित चुनौतियाँ

- **धन वितरण में विलंब:** ग्रामीण ज़िलों में लाभार्थियों को धन वितरण के लिये **4-6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है,** जिससे कई परिवारों को शादी के खर्चों को पूरा करने के लिये **धन उधार लेने के लिये मज़बूर होना पड़ता है।**
- **अंतिम छोर तक वितरण अंतराल: वर्ष 2024 के सामाजिक अंकेक्षण** के अनुसार, केवल **68% प्राप्तकर्त्ताओं को शादी से पहले** उनकी धनराशि प्राप्त हुई, जिससे वित्तीय सहायता की समयबद्धता प्रभावित हुई।
- **उच्च आवेदन अस्वीकृति दर:** लगभग **23% आवेदनों को दस्तावेज़ी कमियों** के कारण अस्वीकृत कर दिया गया, जिससे और अधिक **देरी व जटिलताएँ उत्पन्न** हुईं।
- सत्यापन में बाधाएँ: सत्यापन में **मैनुअल प्रक्रियाएँ** और **नौकरशाही संबंधी देरी लाभार्थियों को समय पर** सहायता प्रदान करने में बाधा डालती है।

सुधार के उपाय

- विभाग **अंतिम छोर तक वितरण में सुधार के लिये जागरूकता अभियान की योजना बना रहा है** तथा अपने समावेशी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं की आवश्यकता को स्वीकार कर रहा है।
- जरूरतों और चुनौतियों की पहचान करने के लिये नियमित रूप से लाभार्थियों की प्रतिक्रिया एकत्रकरें तथा **कार्यक्रम को बेहतर बनाने और अधिक प्रभाव के लिये उसे अनुकूलित करने के लिये अंतर्दृष्टि का उपयोग करें।**
- प्रभावशीलता और सुधार के क्षेत्रों का आकलन करने के लिये **नियमित निगरानी और मूल्यांकन** स्थापित करें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

OBC के सशक्तीकरण से संबंधित योजनाएँ

- **श्रेयस (युवा उपलब्धिकर्त्ताओं के लिये उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति) योजना:** श्रेयस योजना एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें चार उप-योजनाएँ शामिल हैं, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों को शैक्षिक अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **पीएम-यशस्वी (OBC एवं अन्य के लिये जीवंत भारत हेतु पीएम युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना):** पीएम-यशस्वी योजना OBC, EBC और विमुक्त, खानाबदोश जनजातियों (DNT) के छात्रों को कक्षा 12वीं से आगे उच्च शिक्षा के लिये **पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है।**
  - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 100% वित्त पोषित, यह वर्ष 2021-22 से मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संस्थानों के छात्रों को कवर करती है।
- **OBC प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति- उत्तर प्रदेश:** OBC **प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति** उन छात्रों को सहायता देने के लिये बनाई गई है जो आर्थिक रूप से वंचित हैं और कक्षा 9 या 10 में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

सोयाबीन की उच्च उपज देने वाली किस्में

चर्चा में क्यों ?

खरीफ 2025 सीज़न से पहले, **कृषि विभाग** ने **उत्तर प्रदेश के** बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थानीय **जलवायु-आधारित कृषि परिस्थितियों** के तहत उपज को बेहतर बनाने के लिये **कुछ विशेष उच्च-उपज वाली सोयाबीन किस्मों** की खेती की सिफ़ारिश की है।

मुख्य बिंदु

- **उच्च उपज देने वाली किस्में:** इन किस्मों ने बुंदेलखंड क्षेत्र के विशिष्ट **वर्षा पैटर्न,** मिट्टी के प्रकार और तापमान प्रोफाइल के प्रति उत्कृष्ट अनुकूलनशीलता प्रदर्शित की है।
- उत्तर प्रदेश के लिये विशेष रूप से कोई अतिरिक्त राज्य-विशिष्ट सोयाबीन किस्म अधिसूचित नहीं की गई है।
- **क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूपता:** ये किस्में **मध्यम से गहरी काली मिट्टी** तथा **मानसून-आधारित वर्षा पैटर्न** के तहत अच्छी पैदावार देने में सक्षम मानी जाती हैं।
- **भारत में सोयाबीन की खेती: वर्तमान में** इसकी खेती **कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है, जो वैश्विक सोयाबीन उत्पादन में** लगभग 4% का योगदान देती है।
- प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों में **मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं।**
- **सोयाबीन की खेती का महत्त्व:**
  - **जल दक्षता:** सोयाबीन को धान की तुलना में काफी कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे यह सीमित जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों के लिये अत्यधिक उपयुक्त फसल मानी जाती है।
  - **आर्थिक लाभ: कम लागत** और **अच्छी पैदावार** के चलते सोयाबीन की खेती से किसानों को **धान के समान या उससे बेहतर आय** प्राप्त हो सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मृदा स्वास्थ्य:** एक दलहनी फसल के रूप में सोयाबीन मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है, जिससे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है।
- **फसल विविधीकरण:** सोयाबीन को फसल चक्र प्रणालियों जैसे सोयाबीन-गेहूँ, सोयाबीन-मटर-ग्रीष्मकालीन मूंग आदि में प्रभावी रूप से एकीकृत किया जा सकता है, जिससे किसानों को अपनी **फसल पद्धति में विविधता लाने** और पानी की अधिक खपत वाली धान की खेती पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
- **बाज़ार और पोषण मूल्य:** सोयाबीन प्रोटीन और तेल दोनों से समृद्ध है, जिससे यह भोजन, पशु आहार और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिये मूल्यवान है।

खरीफ फसलें

- **खरीफ फसलें** वे फसलें हैं, जो **वर्षा ऋतु के दौरान बोई जाती हैं,** जो भारत में आमतौर पर **जून से सितंबर तक रहती है।**
- इन फसलों को उगने के लिये **अधिक पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है** और ये **मानसून पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं।**
- **बुवाई का समय: जून से जुलाई (मानसून** की शुरुआत में)
- **कटाई का समय:** अक्तूबर से नवंबर (मानसून का अंत में)
- **प्रमुख खरीफ फसलें:**
  - **धान (चावल), मक्का (मकई), मूँगफली, कपास**, आदि।

रबी फसलें

- **रबी की फसलें सर्दियों के मौसम में अक्तूबर** से मार्च तक उगाई जाती हैं।
- ये फसलें आमतौर पर मानसून **समाप्त होने के बाद बोई जाती हैं** और विकास अवधि के दौरान इन्हें **ठंडी जलवायु और कटाई के समय गर्म, शुष्क परिस्थितियों की आवश्यकता होती है।**
- **बुवाई का समय:** अक्तूबर से नवंबर
- **कटाई का समय:** मार्च से अप्रैल
- **प्रमुख रबी फसलें: गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी**, आदि।

विश्व कछुआ दिवस 2025: उत्तर प्रदेश के कछुआ संरक्षण प्रयास

चर्चा में क्यों?

23 मई, 2025 को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया गया, जिसका उद्देश्य कछुओं के पारिस्थितिक महत्त्व और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और **उत्तर प्रदेश** भारत में कछुआ संरक्षण के क्षेत्र में **अग्रणी राज्य** के रूप में उभरा।

मुख्य बिंदु

- **भारत में कछुआ प्रजातियाँ:**
  - भारत में **30 प्रकार की मीठे पानी की कछुआ प्रजातियाँ** पाई जाती हैं, जिनमें से **26 प्रजातियाँ** वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की **अनुसूची-I** में सूचीबद्ध हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इसके अतिरिक्त, भारत में **5 समुद्री कछुआ प्रजातियाँ** भी पाई जाती हैं — **ऑलिव रिडले ग्रीन, लॉगरहेड, हॉक्सबिल** और **लेदरबैक**, जो सभी **WPA, 1972 की अनुसूची-I** के अंतर्गत संरक्षित हैं।

- **उत्तर प्रदेश में प्रजातियाँ:**
  - भारत में पाई जाने वाली 30 कछुआ प्रजातियों में से **15 प्रजातियाँ उत्तर प्रदेश** में पाई जाती हैं, जिनमें शामिल हैं- **ब्राह्मणी, पाछेड़ा, कोरी पाछेड़ा, कालीतोह, काला कछुआ, हल्दी बाथ कछुआ, साल कछुआ तिलकधारी, धोर कछुआ, भूतकथा कछुआ, पहाड़ी त्रिकुटकी कछुआ, सुंदरी कछुआ, मोरपंखी कछुआ, कटहवा लिथरहवा, स्योंतर फाइटर, पार्वती कछुआ** आदि।
- **उत्तर प्रदेश के संरक्षण प्रयास:**
  - **सारनाथ कछुआ प्रजनन एवं पुनर्वास केंद्र**, जिसे वर्ष **2017 में पुनर्निर्मित और पुनर्विकसित** किया गया था, ने वर्ष **2017 से 2025** के बीच **3,298 कछुओं** का संरक्षण कर उन्हें **वाराणसी में गंगा नदी** में छोड़ा, जिससे नदी की पारिस्थितिकी को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता मिली।
  - **वर्ष 2017 से 'नमामि गंगे' कार्यक्रम** के अंतर्गत कछुआ पुनर्वास केंद्र को शामिल किये जाने के बाद से **कछुओं की तस्करी में भी उल्लेखनीय कमी** आई है।
  - **कुकरेल, सारनाथ** एवं **चंबल** सहित कई अन्य कछुआ संरक्षण केंद्र भी स्थापित किये गए हैं।
  - **नमामि गंगे कार्यक्रम** के अंतर्गत **2020 में प्रयागराज के निकट एक कछुआ अभयारण्य** की स्थापना की गई।
  - यह अभयारण्य **गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र और तटीय इलाकों के 30 किमी क्षेत्र** को कवर करता है। यह **तीन ज़िलों– प्रयागराज के कोठारी मेजा से प्रारम्भ होकर, मिर्ज़ापुर** और **भदोही** से होते हुए **उपरवार** तक विस्तृत है।

कछुओं की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने के लिये पीटीआर की योजना

- **विश्व कछुआ दिवस 2025** के अवसर पर **पिलीभीत टाइगर रिज़र्व (PTR)** में **अवैध कछुआ तस्करी पर अंकुश, वैज्ञानिक संरक्षण को प्रोत्साहन** तथा **प्राकृतिक आवासों के पुनर्स्थापन** हेतु एक **दीर्घकालिक रणनीतिक योजना** की घोषणा की गई।
  - **मीठे पानी के कछुओं** की तस्करी प्रायः **चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान** एवं **थाईलैंड** जैसे देशों में की जाती है, जहाँ इनका उपयोग **पारंपरिक औषधियों, मांस, अंडों**, यहाँ तक कि **रक्त** के उपभोग हेतु होता है।
- **वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)** द्वारा वर्ष **2018 में चलाए गए ऑपरेशन सेव कूर्मा (Operation Save Kurma)** के दौरान **पिलीभीत-खीरी क्षेत्र** को उत्तर प्रदेश के **पाँच सबसे संवेदनशील कछुआ तस्करी क्षेत्रों** में शामिल किया गया था।
  - **उत्तर प्रदेश, असम** और **पश्चिम बंगाल** के बाद **कछुआ विविधता** में **तीसरे स्थान** पर है, जहाँ की **नदियों, झीलों, शारदा सागर बाँध** एवं अन्य जल निकायों में पाई जाने वाली 15 प्रजातियों में से **13 प्रजातियाँ पिलीभीत** में पाई जाती हैं।
- इस रणनीति के तहत, **पहचान किये गए कछुआ तस्करों का पुनर्वास** कर उन्हें **सरकारी अनुदानित मत्स्य पालन (पिसीकल्चर) योजनाओं** से जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें एक **सतत् आजीविका** का विकल्प प्रदान किया जा सके। यह **उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली पहल** है।
  - इसके अतिरिक्त, **माला नदी** के तट पर **CAMPA निधि** से एक **कछुआ संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र** की स्थापना की जा रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

कछुए

- **परिचय:** **कछुए** (Order Testudines) **सरीसृप** हैं जो अपनी पसलियों (Ribs) से विकसित एक **उपास्थिल कवच** (**Cartilaginous Shell**) द्वारा पहचाने जाते हैं, जो एक **सुरक्षा कवच** का निर्माण करता है।
  - अन्य कवचधारी प्राणियों के विपरीत **कछुए अपने कवच को न तो त्याग सकते हैं** और **न ही उससे बाहर आ सकते हैं**, क्योंकि यह **उनके कंकाल (Skeleton) का अभिन्न अंग** है।
- **निवास स्थान:** कछुए **स्वच्छ जल** और **समुद्री (लवणीय) दोनों वातावरणों** में रह सकते हैं।
- **टॉर्टोइस से भिन्नता:** **टॉर्टोइस** (**Tortoises**) अन्य कछुओं से मुख्य रूप से इस कारण भिन्न होते हैं कि वे **पूर्णतः स्थलीय** होते हैं, जबकि **कछुओं की कई प्रजातियाँ आंशिक रूप से जलीय** होती हैं।
  - हालाँकि **सभी टॉर्टोइस कछुए हैं,** लेकिन सभी कछुए टॉर्टोइस नहीं हैं।
  - दोनों आम तौर पर शर्मीले, एकांतप्रिय जानवर हैं जो भूमि पर घोंसलों का निर्माण कर अपने अंडों को सुरक्षित रखते है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:** कछुए **असमतापी (बाह्यउष्मीय)** प्रजाति हैं, अर्थात वे **उष्ण और शीत वातावरण के बीच विचरण करके अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित** कर सकते हैं।
  - अन्य बाह्यतापी जीवों जैसे कि **कीट, मत्स्य और उभयचरों की तरह,** इनमें **धीमी चयापचय क्रिया होती है** तथा ये **भोजन या जल के बिना भी लंबे समय तक जीवित** रह सकते हैं।
  - उत्तर प्रदेश में **कटहवा, मोरपंखी, साल** और **सुंदरी** जैसी कछुआ प्रजातियाँ बढ़ते **प्रदूषण संकट** के बीच **जल निकायों को स्वच्छ और पारिस्थितिक रूप से संतुलित** बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं।
  - **महत्त्व:**
    - कछुए पृथ्वी पर पाए जाने वाले **सबसे प्राचीन और दीर्घायु जीवों** में गिने जाते हैं, जो **जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन** में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन्हें प्राय: "**जल निकायों के क्लीनर**" के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये **नदियों, तालाबों और झीलों** में **प्रदूषण नियंत्रण** में सहायता करते हैं और पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं।

ऑपरेशन सेव कुर्मा

- **कछुओं** के **व्यावसायिक शोषण** पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वर्ष 2016 **में "ऑपरेशन सेव कूर्मा"** शुरू किया गया।
- यह अभियान विशेष रूप से **शिकार, परिवहन** और **जीवित कछुओं के अवैध व्यापार** से जुड़े प्रमुख राज्यों पर केंद्रित था।
- इस अभियान में 10 **राज्य** शामिल थे — **उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक** और **पश्चिम बंगाल**।

प्रोजेक्ट अलंकार

चर्चा में क्यों ?

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान **उत्तर प्रदेश सरकार की शैक्षिक सुधार पहल 'प्रोजेक्ट अलंकार'** की व्यापक रूप से सराहना की गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य बिंदु

- **प्रोजेक्ट अलंकार के बारे में:**
  - इसे **1 अक्तूबर 2021 को** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था।
  - इसका लक्ष्य 2,441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 35 बुनियादी ढाँचे और सुविधा मानदंडों का **100% अनुपालन सुनिश्चित करना है।**
  - इसका प्राथमिक लक्ष्य राज्य के विद्यार्थियों के लिये अधिक **अनुकूल, समावेशी और आधुनिक शिक्षण वातावरण तैयार करना है।**
- **विशेषताएँ:**
  - नवनिर्मित कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं सहित **भौतिक बुनियादी ढाँचे का उन्नयन।**
  - स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ शौचालय जैसी **आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान, विशेष रूप से लड़कियों की स्वच्छता सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना।**
- **योजना के अंतर्गत विशिष्ट विद्यालयों का विकास:**
  - **मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय** (प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक) और मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय (प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक) भी विकसित किये जा रहे हैं।
    - **इन स्कूलों में** विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) प्रयोगशालाएँ, कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ आदि सहित अत्याधुनिक सुविधाएँ हैं।
    - प्रत्येक अभ्युदय स्कूल में 450 विद्यार्थियों की क्षमता है तथा विकास के लिये 1.42 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
  - **7 ज़िलों में 141 संस्कृत विद्यालयों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण,** उनके पुनरुद्धार के लिये 14.94 करोड़ रुपए की समर्पित निधि।
- **वित्तपोषण और कार्यान्वयन:**
  - प्रोजेक्ट अलंकार के वित्तपोषण स्रोतों में राज्य सरकार, समग्र शिक्षा अभियान, **ग्राम पंचायतें, शहरी स्थानीय निकाय**, कॉर्पोरेट **सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) योगदान** और स्वैच्छिक दान शामिल हैं।
  - कार्यान्वयन की **कड़ी निगरानी ज़िला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता वाली ज़िला स्तरीय समितियों द्वारा की** जाती है तथा राज्य शिक्षा निदेशक इसकी देखरेख करते हैं।
- **प्रभाव और परिणाम:**
  - **वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024** के अनुसार, वर्ष 2022-23 और 2024-25 के बीच सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन में **23% की वृद्धि हुई।**
  - प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति (कक्षा 1-5) वर्ष 2010 से 2024 तक **11.5% बढ़ी,** जबकि उच्च प्राथमिक उपस्थिति (कक्षा 6-8) वर्ष 2018 और 2024 के बीच 9.6% बढ़ी - जो **देश में सबसे अधिक है।**
  - स्कूल पुस्तकालयों के उपयोग में 55.2% की वृद्धि हुई तथा बालिकाओं की शौचालय सुविधाओं तक पहुँच में 54.4% सुधार हुआ, जो **बेहतर स्वच्छता और शिक्षण सहायता को दर्शाता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

समग्र शिक्षा अभियान

- **परिचय:** केंद्रीय बजट 2018-19 में प्रस्तुत, **समग्र शिक्षा** एक व्यापक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत समान शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **प्री-नर्सरी से बारहवीं कक्षा तक** के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **योजनाओं का एकीकरण:** इसमें पहले की तीन योजनाएँ सम्मिलित हैं:
    - **सर्व शिक्षा अभियान (SSA):** सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित।
    - **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA):** इसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा है।
    - **शिक्षक शिक्षा (TE):** शिक्षकों के प्रशिक्षण पर केंद्रित।
  - **क्षेत्र-व्यापी विकास दृष्टिकोण:** इस अभियान के अंतर्गत खंडित परियोजना-आधारित उद्देश्यों के स्थान पर **सभी स्तरों (राज्य, ज़िला और उप-ज़िला) पर कार्यान्वयन** को सुव्यवस्थित किया गया है।
  - **सतत् विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण:** लैंगिक असमानताओं को समाप्त करते हुए और सुभेद्य समूहों (SDG 4.1) के लिये पहुँच सुनिश्चित करते हुए निःशुल्क, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा **सुनिश्चित की जाती है** (SDG 4.5)।
- **कार्यान्वयन:** यह केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है, जिसका कार्यान्वयन **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर** पर **एकल राज्य कार्यान्वयन सोसायटी (SIS)** के माध्यम से किया जाता है।
  - SIS एक **राज्य-पंजीकृत निकाय है** जो CSS और **विकास कार्यक्रमों** का क्रियान्वन करता है।

नोएडा में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा **अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी परियोजना** का **लेआउट** यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) को सौंप दिया गया है।

मुख्य बिंदु

- **परियोजना के बारे में:**
  - **फिल्म सिटी** का निर्माण **ग्रेटर नोएडा** के **सेक्टर-21** में यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे किया जाएगा।
  - यह कुल **1,000 एकड़** क्षेत्र में फैली होगी, जिससे यह **उत्तर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी** बनेगी।
  - **पहले चरण** में **230 एकड़** क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, जिस पर अनुमानित **1,510 करोड़** रुपए का निवेश किया जाएगा।
- **उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023:**
  - सरकार अवधी, ब्रज, **बुंदेली और** भोजपुरी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों की **कुल लागत पर 50% सब्सिडी प्रदान करती है।**
  - **हिंदी फिल्मों** के लिये कुल निर्माण लागत का **25% तक सब्सिडी** उपलब्ध है।
  - **उत्तर प्रदेश में अपनी शूटिंग के कम-से-कम 50% दिन** पूरे करने वाली फिल्में **1 करोड़ रुपए की सब्सिडी** के लिये पात्र हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यदि कोई फिल्म **अपनी दो-तिहाई शूटिंग राज्य में पूरी करती है तो वह अधिकतम 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी** के लिये पात्र हो जाती है।
- **स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन:**
  - **उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को अभिनेता के रूप फिल्म में शामिल करने के लिये 25 लाख रुपए** या वास्तविक पारिश्रमिक (जो भी कम हो) का अनुदान प्रदान किया जाता है।
  - राज्य के **स्थानीय गायकों, संगीतकारों, गीतकारों, निर्देशकों, कैमरामैनों और अन्य क्रू सदस्यों को रोज़गार देने के लिये 5 लाख रुपए** या **कुल सब्सिडी का 2%** (जो भी कम हो) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।
- **ओटीटी प्रोडक्शंस प्रोत्साहन:**
  - उत्तर प्रदेश में कम-से-कम दो-तिहाई शूट की गई वेब-सीरीज़ को उत्पादन लागत का 50% या प्रति एपिसोड 10 लाख रुपए (जो भी कम हो) की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  - वेब-फिल्मों को समान मानदंडों के तहत लागत का 25% या 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलता है।
- **फिल्म अवसंरचना सब्सिडी:**
  - **फ़िल्म प्रशिक्षण संस्थानों** को **25% की पूंजीगत सब्सिडी** या **50 लाख रुपए (न्यूनतम 50 लाख रुपए निवेश)** तक की सहायता दी जाती है।
  - फिल्म स्टूडियो/प्रयोगशालाओं को 25% सब्सिडी या 50 लाख रुपए मिलते हैं। इसे **पूर्वांचल, विंध्यांचल और बुंदेलखंड** में 35% (अधिकतम 50 लाख रुपए) तक बढ़ाया गया।
- **आउटडोर शूटिंग समर्थन:**
  - उत्तर प्रदेश के **STDC होटलों/मोटलों** में **आवास पर 25% की छूट** दी जाती है।
  - **सरकारी अतिथि गृहों** में **मानक दरों** पर फ़िल्म क्रू के लिये कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं।
- **फिल्म शिक्षा सहायता:**
  - **फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) पुणे** और सत्यजीत रे फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कोलकाता में प्रत्येक संस्थान से **10 छात्रों के प्रशिक्षण** पर **प्रति छात्र 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति राशि दी** जाती है।
- **नोडल एजेंसी:**
  - फिल्म नीति के कार्यान्वयन और समन्वय का प्रबंधन राज्य की आधिकारिक फिल्म प्रमोशन संस्था, **फिल्म बंधु द्वारा किया जाता है।**

बफर में सफर योजना

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग ने 'बफर में सफर योजना' नाम से एक नई इकोटूरिज़्म पहल शुरू की है।

मुख्य बिंदु

बफर में सफर योजना

- **योजना के उद्देश्य:**
  - इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य बाघ अभ्यारण्यों के बफर क्षेत्रों में सतत और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इस पहल का उद्देश्य **स्थानीय समुदायों को** पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोज़गार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।
- इसका उद्देश्य समुदाय के नेतृत्व में जैवविविधता के संरक्षण को प्रोत्साहित करके वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को दृढ़ करना भी है।

- **महत्त्व:**
  - इस पहल से **उत्तर प्रदेश** के भारत में **अग्रणी इकोटूरिज़्म गंतव्य** बनने के लक्ष्य में महत्त्वपूर्ण योगदान मिलने की आशा है।
  - **पर्यटन, संरक्षण और स्थानीय रोज़गार को** संयोजित करने का एकीकृत दृष्टिकोण, आर्थिक विकास के साथ पारिस्थितिक स्थिरता को संतुलित करने के इच्छुक **अन्य राज्यों** के लिये भी एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है।
- **कार्यान्वयन क्षेत्र:**
  - **प्रमुख बाघ अभयारण्य और बफर ज़ोन:**
    - यह योजना दुधवा, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जैसे प्रमुख बाघ रिज़र्व बफर ज़ोन में क्रियान्वित की जा रही है, जो अपनी समृद्ध जैवविविधता और भारत-नेपाल सीमा से निकटता के लिये प्रसिद्ध हैं।
    - सोहगीबरवाऔर कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य जैसे पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
  - **विशेष पारिस्थितिक स्थल:**
    - प्रवासी पक्षियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण पर्यावास स्थल, **सेमराई झील** को इकोटूरिज़्म सर्किट के एक भाग के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- इससे पक्षी प्रेमियों को अन्वेषण के नए अवसर प्राप्त होंगे।
- **पर्यटन अवसंरचना विकास:**
  - **दुधवा टाइगर रिज़र्व** में आगंतुकों की सहभागिता बढ़ाने के लिये एक **आधुनिक सूचना केंद्र स्थापित** किया गया है।
  - यह केंद्र क्षेत्र के वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के संबंध में शैक्षिक जानकारी प्रदान करेगा, साथ ही संरक्षण प्रयासों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान करेगा।

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान

- यह भारत-नेपाल सीमा के निकट उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है।
- इसे **1977 में एक राष्ट्रीय उद्यान** (1958 से वन्यजीव अभयारण्य) के रूप में स्थापित किया गया था।
- **वन्यजीव एवं पारिस्थितिकी तंत्र:**
  - बंगाल टाइगर, तेंदुए, हाथी, भालू और **450 से अधिक पक्षी प्रजातियों** का निवास स्थान।
  - **घास के मैदान, दलदल और घने वन** जैसे विविध पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएँ।
- **संरक्षण एवं पारिस्थितिकी पर्यटन:**
  - **निवास स्थान की पुनर्स्थापना और बारहसिंगा जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों** के पुन: प्रवेश के लिये जाना जाता है।
  - स्थानीय समुदायों को सहयोग देने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिये इको-पर्यटन को प्रोत्साहन देना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

पीलीभीत टाइगर रिज़र्व

- सितंबर 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर **पहल** के तहत भारत का 45वाँ टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया।
- **भूगोल:**
  - पीलीभीत टाइगर रिज़र्व की उत्तरी सीमा भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है, **जो** एक प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रदान करती है।
  - दक्षिणी **सीमा शारदा** और **खकरा नदियों** द्वारा निर्धारित होती है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और जल संसाधनों में योगदान देती हैं।
- **पारिस्थितिक महत्त्व:**
  - **यह तराई पारिस्थितिकी तंत्र** का एक प्रमुख उदाहरण है, जो अपने **खुले घास के मैदानों, साल के वनों, जल निकायों** और **समृद्ध जैव विविधता के लिये जाना जाता है**
  - तराई क्षेत्र के लिये विशिष्ट अद्वितीय **पारिस्थितिक और व्यवहारिक बाघ अनुकूलन के लिये** भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त
- **वनस्पति और जीव:** प्रमुख वन्यजीवों में **बाघ, दलदली हिरण, बंगाल फ्लोरिकन, हॉग हिरण, तेंदुए** और समृद्ध शिकार आधार (चीतल, सांभर, जंगली सूअर, नीलगाय आदि) शामिल हैं।

कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य

- **उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र** में स्थित **कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य** लगभग **400 वर्ग किमी.** में विस्तृत है और **घाघरा नदी के किनारे स्थित है।**
- इसकी स्थापना **वर्ष 1975 में हुई थी** और **वर्ष 2008 में इसे टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया, यह दुधवा टाइगर रिज़र्व** का एक प्रमुख हिस्सा है।
- **जैवविविधता:**
  - **बंगाल टाइगर,** भारतीय हाथी, तेंदुआ, भालू और **लुप्तप्राय** गंगा डॉल्फिन का निवास स्थान।
  - समृद्ध शिकार आधार में **हॉग हिरण, दलदल हिरण,** और अधिक शामिल हैं।
  - **यह 350 से अधिक पक्षी प्रजातियों** का घर है, जिनमें **भारतीय स्कीमर, ऑस्प्रे, ग्रेट हॉर्नबिल** और **किंगफिशर शामिल हैं।**
  - अभयारण्य में **घने साल के वन** के साथ-साथ सागौन, **जामुन** और **औषधीय पौधे भी हैं।**

NFSA के तहत ज़िलेवार कोटा समाप्त किया

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अंतर्गत लाभार्थी आवंटन के लिये **ज़िलेवार कोटा प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है,** ताकि **पात्र परिवारों**, विशेषकर **पिछड़े और वंचित ज़िलों** में रहने वालों को अधिक **न्यायसंगत ढंग से शामिल किया जा सके।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य बिंदु

- **राज्य में वर्तमान स्थिति:**
  - **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)** के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिये **अन्न आवंटन** केंद्र सरकार द्वारा **निर्धारित जनसंख्या कवरेज** के आधार पर किया जाता है, जो कि **ग्रामीण क्षेत्रों** में 64.46% तथा **शहरी क्षेत्रों** में 78.54% तय किया गया है।
- **नीति परिवर्तन:**
  - **ज़िलेवार कोटा हटाना:**
    - उत्तर प्रदेश में पारंपरिक रूप से प्रति ज़िले लाभार्थियों को आवंटित करने की **एक अतिरिक्त ज़िलेवार सीमा का पालन किया जाता रहा है।**
    - इसके **परिणामस्वरूप असमान वितरण हुआ,** जो गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे अपेक्षाकृत समृद्ध ज़िलों के पक्ष में रहा तथा गरीब ज़िलों में **प्रायः सभी पात्र परिवारों को समायोजित करने में असमर्थता रही।**
- **राज्यव्यापी आवंटन की शुरूआत:**
  - नई प्रणाली लाभ आवंटित करने के लिये **राज्यव्यापी** जनसंख्या डेटा और **पात्रता मानदंडों का उपयोग करेगी।**
  - इससे **यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि वितरण मनमाने प्रशासनिक सीमाओं से बाधित होने के बजाए** अधिनियम में निर्धारित पात्रता मानदंडों के साथ अधिक निकटता से संरेखित हो।
- **लाभार्थी कवरेज पर प्रभाव:**
  - पुनर्वितरण प्रक्रिया के भाग के रूप में, सीतापुर, बाराबंकी और ललितपुर ज़िलों में से प्रत्येक में 5,000 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है।
  - **ये वृद्धि गाज़ियाबाद** और **गौतम बुद्ध नगर** से लाभार्थियों की संख्या को पुन: आवंटित करके की गई।
  - **बुंदेलखंड क्षेत्र** में NFSA कवरेज को **90% तक बढ़ाया गया है।**
  - **पूर्वी उत्तर प्रदेश के** कई योग्य ज़िलों में कवरेज को **85% तक बढ़ाया गया है।**
- **प्रशासनिक प्रदर्शन:**
  - **एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) पोर्टल** की अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार, **खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग** जन शिकायतों के समाधान में **चौथे** स्थान पर है।
  - **इसका स्थान** खादी एवं ग्रामोद्योग, **सहकारिता विभाग** तथा **आबकारी विभाग** से ठीक पीछे था।
  - निचले चार स्थानों में शामिल विभागों में **उद्योग एवं अवसंरचना विकास, आवास एवं शहरी नियोजन,** पर्यावरण **एवं जलवायु परिवर्तन** तथा **महिला कल्याण शामिल हैं।**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

- **NFSA के बारे में:**
  - इसे भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया था।**
  - इसने कल्याण-आधारित दृष्टिकोण से **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर बदलाव को चिह्नित किया,** जिससे जनसंख्या के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उद्देश्य:**
  - इस अधिनियम का उद्देश्य लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिये **वहनीय मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है।**
  - यह राशन कार्ड के प्रयोजनों के लिये परिवार की सबसे बड़ी महिला (18 वर्ष या उससे अधिक आयु) को परिवार का मुखिया नामित करके **महिला सशक्तीकरण को** भी बढ़ावा देता है।
- **कवरेज और अधिकार:**
  - NFSA कानूनी तौर पर **ग्रामीण आबादी के 75%** और **शहरी आबादी के 50% को** रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है।
  - इसमें पूरे भारत में लगभग **81.34 करोड़ व्यक्ति शामिल हैं।**
- **लाभार्थियों की श्रेणियाँ:**
  - **अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने** वाले परिवार, जिन्हें सबसे गरीब माना जाता है, **प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न पाने के हकदार हैं।**
  - **प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न** प्राप्त करने का अधिकार है।
- **खाद्यान्न की कीमतें:**
  - अधिनियम में खाद्यान्नों के लिये सब्सिडीयुक्त मूल्य निर्दिष्ट किये गए हैं:
  - **चावल** 3 रुपए और **गेहूँ** 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जाता है।
  - **मोटा अनाज** 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जाता है।
  - ये कीमतें शुरू में कार्यान्वयन की तारीख से तीन वर्षों के लिये निर्धारित की गई थीं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर इन्हें बढ़ाया जाता रहा है
  - **NFSA के अंतर्गत जिम्मेदारियाँ:**
    - **केंद्र सरकार:**
      - राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को खाद्यान्न आवंटित करने की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार की है।
      - यह निर्धारित डिपो तक खाद्यान्न के परिवहन का प्रबंधन करती है तथा आगे वितरण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  - **इसके पास धारा 39** के अंतर्गत अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये नियम बनाने की शक्ति भी है।
  - **राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारें:**
    - **राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारें पात्र परिवारों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने** और **उचित मूल्य की दुकानों (FPS)** के माध्यम से **खाद्यान्न वितरित करने** के लिये ज़िम्मेदार हैं।
  - उन्हें **FPS नेटवर्क की निगरानी भी करनी होगी,** लाइसेंस जारी करना होगा और **शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करनी होगी।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अतिरिक्त प्रावधान:**
  - **पात्र खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने** की स्थिति में, लाभार्थी **खाद्य सुरक्षा भत्ते** के हकदार होते हैं, जो राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाना चाहिये।
  - **टाइड ओवर आबंटन** का प्रावधान उन राज्यों की रक्षा के लिये किया गया है, जिनका NFSA के तहत आबंटन उनके पूर्व **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)** के आबंटन से कम है।
  - केंद्र सरकार ने अधिनियम के अंतर्गत कई नियम अधिसूचित किये हैं, जिनमें शामिल हैं:
    - **खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम, 2015**
    - **खाद्य सब्सिडी का नकद हस्तांतरण नियम, 2015**
    - **राज्य सरकारों को सहायता नियम, 2015**

वीरता पुरस्कार 2025

चर्चा में क्यों ?

भारत के राष्ट्रपति ने 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर घोषित वीरता पुरस्कारों के तहत **सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों** की पुलिस कर्मियों को **6 कीर्ति चक्र** (4 मरणोपरांत) और **33 शौर्य चक्र** (7 मरणोपरांत) प्रदान किये गए।

मुख्य बिंदु

वीरता पुरस्कारों के बारे में:

- ये पुरस्कार कार्मिकों को कर्त्तव्य के दौरान **अदम्य साहस, अद्वितीय बहादुरी तथा व्यक्तिगत सुरक्षा की पूर्ण उपेक्षा के लिये दिये जाते हैं।**
- इन वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में दो बार की जाती है, पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर और फिर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर।

प्रकार:

- **शत्रु के विरुद्ध कार्रवाई संबंधी वीरता पुरस्कार:**
  - **परमवीर चक्र (PVC):** इसके अग्रभाग पर **"इंद्र के वज्र"** की चार प्रतिकृतियाँ उभरी होती हैं तथा **मध्य में राज्य चिह्न उभरा होता है।**
    - यह पुरस्कार **शत्रु की उपस्थिति में सर्वाधिक विशिष्ट बहादुरी** या किसी **साहसिक या वीरता या आत्म-बलिदान** के उत्कृष्ट कार्य के लिये दिया जाता है।
  - **महावीर चक्र (MVC):** इसका अग्रभाग एक **पाँच नुकीले हेराल्डिक सितारे** से युक्त होता है, जिसकी नोकें बाहरी किनारे को स्पर्श करती हैं। सितारे के केंद्र में उभरा हुआ स्वर्ण जड़ित राज्य प्रतीक होता है।
    - यह पुरस्कार **शत्रु की उपस्थिति में वीरता के कार्यों** के लिये प्रदान किया जाता है।
  - **वीर चक्र:** इस सितारे के केंद्र में एक चक्र होता है तथा चक्र के अंदर एक गुंबदाकार केंद्रबिंदु होता है, जिस पर स्वर्ण-जड़ित राज्य चिह्न अंकित रहता है।
    - यह पुरस्कार **भूमि, समुद्र या वायु में दुश्मन की मौजूदगी में वीरतापूर्ण कार्यों के लिये दिया जाता है।** यह सम्मान मरणोपरांत भी दिया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **शत्रु के विरुद्ध कार्रवाई के अलावा अन्य वीरता पुरस्कार:**
  - **पदक:** इसमें **अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र** शामिल हैं, पदक के **अग्रभाग (सामने वाले हिस्से) के केंद्र** में संबंधित चक्र की **एक आकृति उत्कीर्णित** होती है, जो **कमल की एक माला से आबद्ध** होती है।
    - **किनारे के** साथ-साथ, आंतरिक भाग में **कमल के पत्तों, फूलों और कलियों** का पैटर्न होता है।
    - इसके पृष्ठ भाग पर **हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में संबंधित शब्द** उत्कीर्णित होते हैं तथा दोनों संस्करण **दो कमल के फूलों से पृथक** होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **पुरस्कार का वरीयता क्रम:**
  - परमवीर चक्र
  - अशोक चक्र
  - महावीर चक्र
  - कीर्ति चक्र
  - वीर चक्र
  - शौर्य चक्र

- **पात्रता:**
  - **परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र: नौसेना, सेना, वायु सेना, रिज़र्व एवं टेरिटोरियल बलों** के सभी रैंक के सदस्य, जिनमें **चिकित्सा और नर्सिंग कर्मचारी तथा उनके निर्देशन में कार्यरत नागरिक** भी शामिल हैं।
  - **अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र: सशस्त्र बलों, रिज़र्व और टेरिटोरियल बलों, नर्सिंग सेवाओं, पुलिस, केंद्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों, रेलवे सुरक्षा बल** के सभी रैंक के सदस्य तथा सामान्य नागरिक।

नोट: ऐसी ही बहादुरी के प्रत्येक आगामी कार्य के लिये प्राप्तकर्त्ता को **'चक्र' के साथ 'पट्टी' लगाकर सम्मानित** किया जाता है।

- इसके अलावा, अतिरिक्त बहादुरी के लिये **'चक्र'** और **'पट्टी' दोनों को मरणोपरांत** प्रदान किया **जा सकता है।**

पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि

चर्चा में क्यों ?

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री **पंडित जवाहरलाल नेहरू** की पुण्यतिथि **27 मई 2025** को मनाई गई। उन्हें **आधुनिक भारत के निर्माता** के रूप में याद किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

मुख्य बिंदु

जवाहरलाल नेहरू के बारे में:

- **प्रारंभिक जीवन:**
  - उनका जन्म **14 नवंबर 1889 को** प्रयागराज में हुआ। वर्ष **1912 में बाँकीपुर (पटना)** में एक प्रतिनिधि के रूप में अपने **पहले कॉन्ग्रेस** सत्र में भाग लिया और वर्ष 1916 में एनी बेसेंट **की होम रूल लीग** में शामिल हो गए, **वर्ष 1919 में उन्हें इस लीग का इलाहाबाद सचिव चुना गया।**
- **स्वतंत्रता संग्राम में योगदान:**
  - वे वर्ष **1929 के लाहौर अधिवेशन** में **कॉन्ग्रेस अध्यक्ष चुने गए,** जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता के लिये ऐतिहासिक **पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया और बाद में उन्होंने समाजवाद को बढ़ावा देते हुए वर्ष 1936 के लखनऊ** एवं वर्ष **1937 के फैजपुर** अधिवेशनों की अध्यक्षता की।
    - उन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति (वर्ष 1929-31) **का मसौदा तैयार किया,** जिसे **सरदार पटेल** के तहत वर्ष **1931 के कराची अधिवेशन में अपनाया गया एवं भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के सैनिकों** के लिये कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का समर्थन किया।
    - उन्होंने वर्ष 1946 में **अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया।**
  - **स्वतंत्रता के बाद: वर्ष 1953** में, उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, **पंचवर्षीय योजनाओं** के माध्यम से **औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया और** गुटनिरपेक्ष आंदोलन **का** नेतृत्व किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **पुरस्कार:**
  - उन्हें **भारत रत्न (वर्ष 1955)** और **विश्व शांति परिषद पुरस्कार (मरणोपरांत, 1970) से सम्मानित किया गया।**
- **साहित्यिक योगदान:**
  - **भारत की खोज** एक **आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलकियाँ** और **एक पिता के अपनी पुत्री को पत्र।**

उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **उत्तर प्रदेश के जेवर में 3,700 करोड़ रुपए** की **डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण इकाई** स्थापित करने को मंज़ूरी दी है।

- यह परियोजना **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)** के **पहले चरण** के अंतर्गत स्वीकृत की गई **छठी सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई** है।

मुख्य बिंदु

- **परियोजना विवरण:**
  - यह इकाई **भारतीय कंपनी HCL** और **ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी Foxconn** के बीच एक **संयुक्त उपक्रम** है।
  - **जेवर संयंत्र** में **व्यावसायिक उत्पादन वर्ष 2027 तक शुरू होने की संभावना** है, जिसके लिये तेज़ी से निर्माण और विकास की आवश्यकता होगी।
  - इस संयंत्र में उत्पादित **चिप्स** का उपयोग **लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन** और **ऑटोमोबाइल्स** में किया जाएगा।
- **सामरिक महत्त्व:**
  - यह **उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र है,** जो तेज़ी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र जेवर में स्थित है।
    - उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके समर्थन में UP सेमीकंडक्टर नीति-2024 की शुरुआत की है।
    - यह **महत्त्वाकांक्षी नीति**, राज्य में **स्थानीय सेमीकंडक्टर निर्माण** को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ भारत को **महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भर** बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
  - यह संयंत्र भारत की **डिस्प्ले और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में मौजूद एक महत्त्वपूर्ण रिक्ति को भरने** में सहायक होगा।
  - संयंत्र के चालू होने के बाद, भारत में एक **डिस्प्ले पैनल निर्माण संयंत्र** की स्थापना की भी संभावना है, जिससे **देश की लगभग 40% डिस्प्ले आवश्यकता** पूरी की जा सकेगी।
- **परियोजना का महत्त्व:**
  - **मेक इन इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा:** यह परियोजना भारत के **सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य** के अनुरूप है, जो **प्रौद्योगिकीय संप्रभुता** और **आर्थिक विकास** के लिये आवश्यक है।
  - **रोज़गार और औद्योगिक विकास:** यह इकाई उत्तर प्रदेश में **औद्योगिक गतिविधियों को गति** देगी, **रोज़गार के अवसर उत्पन्न** करेगी और **सहायक उद्योगों को आकर्षित** करेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- **आयात पर निर्भरता में कमी:** घरेलू स्तर पर चिप निर्माण की वृद्धि से **आयात पर निर्भरता घटेगी** और भारत की **इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति शृंखला की मज़बूती** सुनिश्चित होगी।

भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)

- ISM **को** इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के तत्त्वावधान में 76,000 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ वर्ष 2021 में शुरू किया गया था।
- यह देश में टिकाऊ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिये व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले विनिर्माण और डिज़ाइन पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग के वैश्विक विशेषज्ञों के नेतृत्व में ISM योजनाओं के कुशल, सुसंगत और सुचारू कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :